जून 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं
ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
संदीप यादव

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
अशोक कुमार चौहान
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

5 ▸ सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ढांचे को मजबूत करने का संकल्प

9 ▸ मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के सार्थक परिणाम

12 ▸ दस्तक अभियान में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनेंगे

14 ▸ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों के लिए बेरोजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार मिलेगा

15 ▸ केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल की मुलाकात

13 ▸ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के अपग्रेडेशन और छूटे गाँवों को जोड़ने का प्रयास

16 ▸ बुन्देलखण्ड के दसवीं से बारहवीं शताब्दी के एक हजार तालाब होंगे पुनर्जीवित

17 ▸ आजीविका मिशन में प्रत्येक सदस्य का बनेगा आजीविका प्लान

18 ▸ ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

19 ▸ बाल हितैषी पंचायत से बच्चों का समुचित विकास

21 ▸ बाल हितैषी ग्राम पंचायत के मुख्य बिन्दु

22 ▸ बाल हितैषी ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय कार्यशाला

23 ▸ बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार

24 ▸ मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान

30 ▸ कचरा प्रबंधन की अभिनव पहल

32 ▸ वाल्मी परिसर में लगाए गए औषधीय और उपयोगी पौधे

33 ▸ सेवा और संवेदनाओं का नवाचार-कुंवर गोपाल गोशाला

34 ▸ त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन-सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019-20

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। इस अंक के जरिये हमें प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत हो रहे कार्यों की सटीक जानकारी मिली है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीणजनों के उत्थान के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो सराहनीय हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।

- विशाल श्रीवास्तव
उमरिया (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अप्रैल-मई माह का संयुक्तांक देखा। इस पत्रिका में ग्रामीणों की हितकर योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही हैं। इसके अलावा शासन द्वारा गाँवों के कल्याण और उत्थान के लिये आयोजित किये गये विभिन्न सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारियां भी इस पत्रिका में प्रकाशित की जाती हैं। पत्रिका से मिली विभिन्न योजनाओं की सुलभ जानकारियों से कई ग्रामीणों के जीवन में सुखद बदलाव भी आया है। हमें उम्मीद है कि आगे भी कई ग्रामीण इस पत्रिका से प्रेरणा लेकर शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

- महेश सिंह राजपूत
हरदा (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीन अंक पढ़ा। इस अंक में पंचायतों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत वर्चुअल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम की जानकारी प्रकाशित की गई। यह हर्ष का विषय है कि अब पंचायतों को भी टैक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। पंचायतकर्मियों और प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायतों के कार्य तकनीकी रूप से अपडेट होने से इनमें पारदर्शिता और तेजी आयेगी। साथ ही ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। सरकार द्वारा इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहने चाहिए।

- शकुन झरबड़े
बैतूल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका में शासकीय आयोजनों और कार्यों की जानकारियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणजनों के मार्गदर्शन संबंधी विविध सामग्री प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा पंचायिका में राज्य शासन द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं परिपत्रों का भी प्रकाशन किया जाता है। इन परिपत्रों के जरिये पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी मिलती है।

- सोनू जाटव
भोपाल (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

नई सरकार के छह माह पूरे हो गये हैं। इन छह महीनों में लोक सभा चुनाव की आचार संहिता का समय छोड़ दें तो सरकार को कुल तीन महीने ही काम करने को मिले। इतने कम समय में जितनी तेजी से सरकार ने निर्णय लिये हैं उससे जाहिर हो गया है कि प्रदेश की विकास यात्रा में अब और ज्यादा तेजी आयेगी।

सरकार ने हर क्षेत्र के लिये जो फैसले लिये हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। हमने 40 नदियों को जीवन देने का काम हाथ में लिया है। यह काम बड़ा है। इसे करने के लिये गर्मी के चार महीनों का थोड़ा-सा समय मिलता है। हमने संकल्प लिया है कि हर साल नदियों की संख्या बढ़ाते जायें। यह सबका काम है। हर प्रकार की राजनीति से परे है।

दूसरा बड़ा काम है पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का। यह सामूहिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने का काम है। मैं चाहता हूं कि गांव का हर परिवार सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में भाग ले। विकास कार्यों के बारे में जहां भी संदेह हो सवाल पूछें। पंचायतों को भरपूर अधिकार दिये गये हैं। आप अपने अधिकार का उपयोग करें और अपनी ग्राम पंचायतों में स्थित संस्थाओं पर निगरानी रखें। आपके गांव का विकास प्लान तैयार है। इसमें आपके गांव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। आप इस पर आपस में चर्चा करना प्रारंभ करें और एक साथ मिलकर अमल करना शुरू कर दें। यह संभव है कि जो प्लान सबने मिलकर तैयार किया है उसमें अमल करते समय परिवर्तन की जरूरत महसूस हो। यदि ऐसा होता है तो आपस में बैठकर चर्चा करें। ग्राम सभा की बैठक में इसे रखें।

सब मिलकर अपने गांव को एक जागरूक गांव बनायें। इससे सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करने में मदद मिलेगी। सरकारी मशीनरी को भी आपका साथ देने में खुशी होगी। आपकी जागरूकता और सरकारी मशीनरी की तत्परता दोनों का साथ जरूरी है।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त की कलम से...

संदीप यादव
आयुक्त

प्रिय पाठको,

पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण विकास का आधार है। आधार मजबूत होगा तभी बेहतर विकास संभव है। इसीलिये पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं मध्यप्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर परिणाम तक पंचायती राज व्यवस्था ने अनेक कीर्तिमान रचे हैं, कई नवाचार किए हैं। इन अनुकरणीय कार्यों और नवाचारों को अन्य राज्यों ने लागू भी किया है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पुरस्कृत भी किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश की प्रगति अग्रणी रही है। यदि हम विगत छह माह के कार्यों का आकलन करें तो इसमें पंचायतों के सशक्तिकरण के लिये जहां वित्त राशि में इजाफा किया गया वहीं ग्राम स्वराज योजना के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायत राज अमले का क्षमतावर्धन किया गया।

देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश में वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 35 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया। प्रदेश की 22,812 ग्राम पंचायतों में से 22,583 पंचायतों की विकास योजना तैयार है। अब प्रदेश की पंचायतें सुनियोजित विकास की तैयारी में हैं। जलसंरक्षण और संवर्द्धन के लिए प्रदेश में नदी पुनर्जीवन और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए विशेष योजना तैयार की गयी है।

मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक मध्यप्रदेश में पिछले छह माह में किए गए विशिष्ट कार्यों पर केंद्रित है। पंचायिका के विशेष लेख स्तंभ में ''मध्यप्रदेश सरकार के छह माह, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ढांचे को मजबूत करने का संकल्प'' आलेख को शामिल किया गया है। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत विगत दिनों श्रृंखलाबद्ध प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया इसकी जानकारी ग्राम स्वराज स्तंभ में, ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सार्थक परिणाम'' आलेख के रूप में प्रकाशित की जा रही है। खास खबरों में सम-सामयिक समाचारों और शासन द्वारा लिए गए निर्णयों को शामिल किया गया है।

पंचायत राज मंत्रालय द्वारा बच्चों के संरक्षण और संपूर्ण विकास के लिए बाल हितैषी पंचायत बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बाल हितैषी पंचायत क्या है, वह कैसी हो, और कैसे बनायी जा सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी बाल हितैषी पंचायत स्तंभ में प्रकाशित की जा रही है। मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान पिछले 35 वर्षों से प्रशिक्षण, अनुसंधान, सलाहकारिता और जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले विशेष कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। संस्थान ने इस दिशा में कई उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। विशेषकर बंजर जमीन पर औषधीय पौधों का रोपण, कचरे से खाद का निर्माण, जल संरक्षण की नयी तकनीक का उपयोग आदि नवाचार किए हैं। आपकी जानकारी के लिए मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान का संपूर्ण विवरण प्रकाशित किया जा रहा है। आपके मार्गदर्शन के लिए पंचायत गजट में विभागीय आदेश शामिल किए गए हैं।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(संदीप यादव)
आयुक्त, पंचायत राज

मध्यप्रदेश सरकार के 6 माह

सामाजिक, आर्थिक और भौतिक ढांचे को मजबूत करने का संकल्प

मध्यप्रदेश की वर्तमान कमल नाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के छह माह पूरे कर लिए हैं। 18 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण किया था तब उनके सामने चुनौतियों का अंबार था। यह चुनौतियां तीन प्रकार की थीं। एक तो सरकार में आने के पूर्व किए गए वादे और दिये गए वचनों को पूरा करना, दूसरा जनता की अपेक्षाएं और तीसरी प्रदेश की विषम आर्थिक परिस्थिति के बीच अपना मार्ग बनाना।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इन परिस्थितियों के बीच अपना मार्ग बनाना आरंभ किया और मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले किसानों को ऋणमुक्त करने का आदेश निकाला। किसान देश की अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार हैं।

मध्यप्रदेश की वर्तमान कमल नाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के छह माह पूरे कर लिए हैं। 18 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण किया था तब उनके सामने चुनौतियों का अंबार था। यह चुनौतियां तीन प्रकार की थीं। एक तो सरकार में आने के पूर्व किए गए वादे और दिये गए वचनों को पूरा करना, दूसरा जनता की अपेक्षाएं और तीसरी प्रदेश की विषम आर्थिक परिस्थिति के बीच अपना मार्ग बनाना।

उसके द्वारा उत्पादित फल, सब्जी और अन्न से न केवल भारत का अर्थतंत्र चलता है बल्कि उसी से जीवन चलता है। कोई कल्पना कर सकता है बिना फल, सब्जी और अन्न के जीवन चलाने का। लेकिन यह अन्नदाता, यह जीवनदाता कर्ज के चक्र में फंसा रहता है। उसे उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता यदि फसल ज्यादा हुई, अच्छी आई तो दाम गिर जाते हैं। किसान कर्ज के चक्र में सदैव फंसा रहता है। अनुमानतः प्रदेश में लगभग 80 लाख किसान हैं इनमें से लगभग 60 लाख किसान कर्जदार। सरकार की ऋण माफी योजना में कुल 48.89 लाख ऋण खाताधारी किसानों की सूची बनी। यह ऋण दो प्रकार के थे। एक ऋण चालू खाताधारी तथा दूसरा कालातीत। सरकार ने ऋण माफ करने के अपने निर्णय के अनुसार माफ करने की प्रक्रिया आरंभ की और मई 2019 तक 9.72 लाख पी.ए. खाते तथा 10.25 पी.एन.ए. खाते कुल 15.57 लाख खातों के ऋण माफ किए गए। हम कह सकते हैं कि कुल लगभग बीस लाख किसानों के ऋण माफ हुए।

बाकी के किसानों के ऋण माफ करने की भी प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश सरकार अपनी किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत गेहूं दो हजार रुपये क्विंटल खरीद रही है जबकि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 1840 रुपये तय किया है। इस अंतर की राशि का भुगतान किसानों के खाते में जमा कराया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में दूसरी बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार देने की है। भारत दुनिया में सर्वाधिक युवा संख्या वाला देश है। यदि युवा बेरोजगार है तो उसमें नकारात्मक भाव आता है, अवसाद आता है। यह दोनों बातें समाज के सामाजिक और भौतिक ढांचे को छिन्न-भिन्न करती हैं, लेकिन यदि युवा सक्षम है, रोजगार से लगा है तब उसमें स्वाभिमान का भाव आता है और यही बात समाज को आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है।

सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की इसमें युवाओं को सौ दिन रोजगार की गारंटी है। वह सबसे पहले कौशल विकास का प्रशिक्षण लेगा। प्रशिक्षण के दौरान उसे चार हजार रुपये स्टाईपेंड मिलेगा। इस योजना से अब तक साढ़े छह लाख युवा लाभान्वित हुए। इसके साथ लगभग 40 हजार ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा रोजगार मेले का अवसर उपलब्ध कराया गया और एमपी ऑनलाइन पोर्टल को ''ऑन बोर्ड'' किया गया। युवाओं को केवल रोजगार की दिशा में ही आत्मनिर्भर बनाने के प्रयत्न नहीं हुए बल्कि खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा का प्रबंध किया गया। समाज को सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए जहां युवाओं को प्रशिक्षित करना आवश्यक है उतना ही जरुरी है उद्योगों की दुनिया का विस्तार। यदि कुछ युवा अपना कारोबार प्रारंभ कर सकें तो ठीक अन्यथा वे अन्य उद्योगों में अपने लिए रोजगार तलाश कर सकें। सरकार ने सबसे पहले निर्णय लिया कि वे बड़े उद्योग समूहों को अनुमति तब ही प्रदान करेंगे जब वे 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवकों को देंगे। इस अनुबंध के साथ मंत्रिपरिषद् ने इंडिया सीमेंट, एच.ई.जी., वण्डर सीमेंट आदि वृहद्ध उद्योगों को विस्तार की अनुमति दी। अनुमान है इससे लगभग 7600 रोजगार अर्जित होंगे।

किसान और रोजगार के साथ सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर गांवों का विकास है। गांव की पंचायतों को उन्नयन और अधिकार संपन्न बनाया है। भारत गांव, किसान और किसानी से चलने वाला देश है। यही भारत की बुनियाद है।

यदि बुनियादी इकाई को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक जोर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत होती है। मध्यप्रदेश ने बीते दशकों में पंचायती राज का उचित उदाहरण पूरे देश के सामने रखा है। इसीलिए मध्यप्रदेश सरकार ने भी पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने और गांवों को उन्नत तथा प्रगतिशील करने के लिए पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कुछ बिंदुओं पर सरकार ने जोर दिया है। इस दिशा में सरकार ने नौ मुख्य निर्णय लिए।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.12 लाख आवास निर्मित और लगभग 8 हजार राजशिल्पी प्रशिक्षित किये गये।
- स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत 2 लाख शौचालयों का निर्माण।
- पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाली राशि में इजाफा, ताकि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की दशा और दिशा में सुधार हो।
- प्रदेश की 22,812 ग्राम पंचायतों में से 22,583 का विकास प्लान तैयार किया जा चुका है। अब इसी के अनुरूप आगे की रूपरेखा पर कार्य जारी है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3,70,754 परिवारों

को 33,482 महिला स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जाकर कुल 86,312 परिवारों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। 18,978 समूहों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया।

- महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत 6 माह में 24.36 लाख परिवारों को 1113 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा राशि 1682.58 करोड़ रुपये का मजदूरी भुगतान कर 3.19 लाख कार्य पूर्ण कराये गये।
- नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के 36 जिलों में 40 नदियों का चयन कर 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सघन रूप से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य प्रारंभ किए गए हैं।
- बुंदेलखंड क्षेत्र के प्राचीन कालीन तालाबों के पुनरुद्धार का कार्य जन सहयोग व सीएसआर के सहयोग से प्रारंभ किया गया।
- पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों हेतु निर्धारित विकल्प राशि में वृद्धि। अध्यक्ष, जिला पंचायत के विकल्प पर दी जाने वाली राशि 25 लाख रुपये के स्थान पर 50 लाख रुपये। उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के विकल्प पर दी जाने वाली राशि 15 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये। सदस्य, जिला पंचायत-10 लाख के स्थान पर 15 लाख रुपये। उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत-8 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपये तथा सदस्य, जनपद पंचायत-4 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपये की वृद्धि की गई है।

गांवों से जुड़ा हुआ एक और बिंदु है वन और पर्यावरण। वनोपज जहां गांवों के माध्यम से ही नगरों में आती है, वहीं गांव का जीवन पर्यावरण के संतुलन का महत्वपूर्ण आधार है। इस दिशा में भी सरकार ने कोई ग्यारह बिंदुओं पर एक साथ काम शुरू किया इनमें-

- भारत शासन द्वारा वनभूमि की वैधानिक स्थिति को राजस्व भूमि के रूप में घोषित करने के बाद इस स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने वनभूमि पर संरक्षित क्षेत्रों से स्थान परिवर्तित किये गये गांवों को अब राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का काम विधि अनुरूप शुरू किया गया है।
- कूनों वन्य जीव अभ्यारण्य का 400 किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तार कर इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया है।
- करेरा सेंचुरी की अधिसूचना रद्द करने का आवेदन सभी क्लीयरेंस पूर्ण करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
- संजय टाइगर रिजर्व सीधी, नौरादेवी से गांवों के स्थान परिवर्तन का कार्य जारी है।
- संपूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- प्रदेश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी हेतु

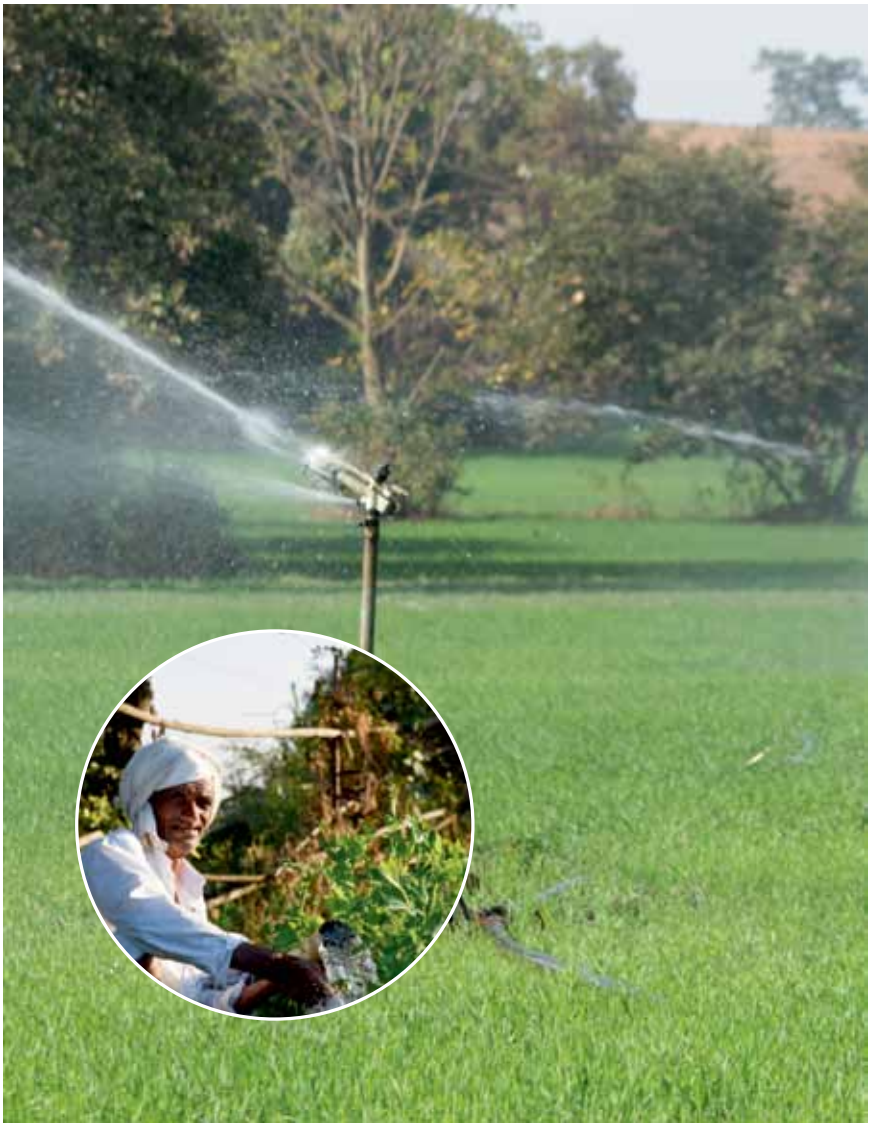

किसान और रोजगार के साथ सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर गांवों का विकास है। गांव की पंचायतों को उन्नयन और अधिकार संपन्न बनाया है। भारत गांव, किसान और किसानी से चलने वाला देश है। यही भारत की बुनियाद है।

उज्जैन, पीथमपुर, देवास, मण्डीदीप, सिंगरौली, दमोह, रीवा, इंदौर, सतना, रतलाम एवं मैहर में ऑनलाइन कन्टीन्युअस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना कराकर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग की जा रही है।

- जीवनदायी नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर तट पर भोपाल स्थित बड़े तालाब की जलवायु गुणवत्ता मापन हेतु रीयल टाईम कन्टीन्युअस वाटर गुणवत्ता परिणाम डिस्पले बोर्ड के माध्यम से जन-साधारण हेतु प्रदर्शित किये जा रहे हैं।
- विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की थीम बीट एयर पॉल्यूशन पर बोर्ड, द्वारा जनसामान्य में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रदेश में 13 स्थानों पर संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कराई गई है। चिकित्सकीय अपशिष्टों का परिवहन करने वाले 820 वाहनों में जीपीएस उपकरणों की स्थापना करायी गई है।
- प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों-इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में जन-सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश की वायु गुणवत्ता दर्शाने वाले 9 बड़े डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना कराई गई।
- प्रदेश की नदियों के 22 प्रदूषित स्थानों के क्लीनिंग प्रोग्राम अनुमोदित की गई।

गोवंश का संरक्षण

गांवों के विकास से जुड़ा हुआ एक और बिन्दु है पशुपालन, विशेषकर गोवंश। इन दिनों गोवंश सड़क पर रहता है। इससे न केवल यातायात में समस्या आती है, अपितु सामाजिक ताना-बाना भी असुविधाजनक होता है। एक समय था जब भारत में पशुपालन कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। लेकिन बदलते परिवेश में कुछ बदलाव आए और गोवंश सड़क पर। इस सरकार ने चिंता की और घोषणा की कि प्रत्येक गांव में एक गोशाला खोली जायेगी। इससे न केवल गोवंश को संरक्षण मिलेगा अपितु गोवंश के संरक्षण और संवर्धन से कई लोगों को रोजगार अवसर भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस सरकार ने प्रदेश में गो-वंश के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए चार माह में एक हजार गो-शालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीणों तथा मजदूरों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उम्मीद की जा रही है कि गो-शालाओं के संचालन में 1 लाख से ज्यादा गोवंश को एक आश्रय मिल सकेगा। गायों के लिए गोचर भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। 296 करोड़ रुपये की लागत से 1000 गोशालाओं की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके साथ सरकार ने मंत्रीमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया कि यदि सामाजिक संस्थाएं सामने आती हैं, वे पशुपालन, गोपालन में रुचि दिखाती हैं तो उन्हें भूमि आवंटन पर भी विचार होगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस दिशा में सरकार ने कदम न उठाया हो। सरकार की कोशिश है कि पंचायत राज व्यवस्था पुनः बहाल हो। इसके लिए जितना जरूरी हो सरकार काम कर रही है। किसान, किसानी युवा, गांव और पंचायत विकास के अतिरिक्त इस सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, नागरिक विकास, ऊर्जा, पर्यटन, आदिवासी परिवहन, सड़क, सहभागिता, कर्मचारी कल्याण, श्रम, पशुपालन, महिला बाल विकास तथा सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया।

प्रदेश की विपरीत आर्थिक स्थिति के बीच सरकार ने जो काम इन 6 माह में किए हैं, वह वाकई सराहनीय हैं और उम्मीद की जा सकती है कि मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपनी उसी ऊंचाई पर पहुंचेगी जिसका वर्णन इतिहास की किताबों में मिलता है।

● डॉ. विद्या शर्मा

मध्यप्रदेश में

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के सार्थक परिणाम

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र वित्त पोषित योजना है। पूर्व में यह आरजीपीएसए योजना के नाम से लागू थी। जो वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित की गयी और अब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के रूप में क्रियान्वित है।

यह योजना मध्यप्रदेश में सभी 51 जिलों में लागू है। योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी पंचायत राज संचालनालय भोपाल है। योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेन्सी एसआईआरडी जबलपुर एवं संजय गांधी युवा नेतृत्व संस्थान पचमढ़ी है।

योजना का उद्देश्य : योजना का मुख्य उद्देश्य त्रि-स्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है।

योजनांतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत, संस्थागत विकास करना है।

पेसा अथवा अनुसूचित क्षेत्र के जिलों, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता और कार्यकारी अमले की स्थापना करना। पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।

मानव संसाधन संरचना : योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य कार्यक्रम निगरानी इकाई का गठन राज्य स्तर पर किया गया है। इसके तहत जिला एवं जनपद स्तर पर जिला तथा जनपद प्रबंधन इकाई का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

विशेषतायें - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 14वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाली राशि के सदुपयोग और ग्राम पंचायत के समग्र विकास के लिए ''ग्राम पंचायत विकास योजना'' के अवयवों को जोड़ा गया है, साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ-साथ कार्यकारी अमले के प्रशिक्षणों को भी समग्र रूप से जोड़ा गया है।

- वर्ष 2018-19 में 31 मार्च, 2019 की स्थिति में प्रथम किश्त के रूप में राशि रुपये 62.79 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जिसके विरुद्ध 51.86 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी।
- उपलब्धि 83% रही।
- राज्यांश राशि 41 करोड़ रुपये स्वीकृत है।

भौतिक उपलब्धि : ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रशिक्षण के लिए 626 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान अंतर्गत लगभग 26,000 चयनित जनप्रतिनिधियों और फेसिलिटेटर्स को प्रशिक्षित किया गया।

संस्थागत प्रशिक्षण : ग्राम पंचायत विकास योजना प्लान प्लस, प्रिया सॉफ्ट का तकनीकी प्रशिक्षण : 1500 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 22812 ग्राम पंचायतों के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक और 313 जनपदों के तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण (एक्सपोजर विजिट): त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यकारी अमले को राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर प्रदर्शन भ्रमण सह प्रशिक्षण हेतु

कार्ययोजना बनाई जा चुकी है जिसके अंतर्गत राज्य के अन्दर उत्कृष्ट पंचायतों और कार्यों का भ्रमण एवं राज्य के बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में उत्कृष्ट पंचायतों और कार्यों का भ्रमण तथा निरीक्षण कराया जायेगा।

विशेष उपलब्धि : 1. ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान अंतर्गत भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना जन अभियान 2 अक्टूबर, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक चलाया गया जिसके अंतर्गत प्रदेश की 22812 ग्राम पंचायतों में मिशन अन्त्योदय के मोबाइल एप (MA&App) पर शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों का बेसलाइन सर्वे किया गया एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर विशेष ग्राम सभाओं में अनुमोदन किया जाकर समस्त 22812 ग्राम पंचायतों की वर्ष 2019-20 की जीपीडीपी की कार्ययोजना भारत शासन के पोर्टल पर प्लान प्लस में अपलोड की गयी।

पेसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने तथा पेसा एक्ट की गतिविधियां : पेसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा को सशक्त बनाने और पेसा एक्ट की गतिविधियों एवं प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विशेष पैकेज के तहत पेसा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा मोबिलाइजर नियुक्त करने के लिए आदेश कार्यालयीन पत्र क्रमांक 16797 दिनांक 17.12.2018 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। योजना के प्रावधान अनुसार पेसा जिलों एवं जनपदों में पेसा क्षेत्र समन्वयक की पदस्थापना आउटसोर्स के माध्यम से की जावेगी।

नवाचार पहल एवं कार्यशालाएं

डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं स्व-कराधान (ओएसआर) की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन प्रदेश में डिजिटल ट्रांजेक्शन एवं स्व-कराधान (ओएसआर) को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब एवं एनआईआरडी हैदराबाद से आये 270 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्व-सहायता समूहों की प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 51 जिलों के 30000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा किया गया।

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 अक्टूबर, 2018 को धार में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया

गया, जिसका शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा किया गया।

कार्यशाला में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों तथा स्व-सहायता समूहों के 8770 प्रतिनिधियों को क्षमतावर्धन का प्रशिक्षण एवं आय मूलक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया।

भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत बाल हितैषी ग्राम पंचायतों के संबंधों में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 26 एवं 27 फरवरी, 2019 को ग्वालियर में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की गई। कार्यशाला में बाल हितैषी पंचायतों के संबंध में रणनीति तय की गई। कार्यशाला में सचिव भारत सरकार यूनिसेफ के प्रतिनिधि एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया गया।

वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रशिक्षण : प्रदेश में नवाचार पहल के तहत प्रशासनिक अकादमी भोपाल के सेटकॉम सेन्टर के माध्यम से प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों अंतर्गत स्थित एक्सीलेन्स स्कूल के माध्यम से प्रदेश के 22812 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोज़गार सहायकों को कार्यालय प्रबंधन, लेखा प्रबंधन, उत्कृष्ट पंचायतों की नवाचार पहलों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कुल 36000 कार्यकारी अमला को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और द्वितीय चरण में 45000 पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

● **प्रफुल्ल जोशी**

नंदन फलोद्यान से कृषक अनिल पाटीदार की आय में 10 गुना वृद्धि

खरगोन जिले के ग्राम नारायणपुरा निवासी कृषक अनिल पाटीदार ने मनरेगा की नंदन फलोद्यान योजना का फायदा लेकर अपनी सालाना आमदनी में लगभग 10 गुना वृद्धि की है। अनिल पाटीदार सालों से अपनी हल की खेती की जमीन और खेत में पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे थे। वे सामान्य खेती से मुश्किल से 40 हजार रुपये सालाना कमा पाते थे। अब अपने खेत में अमरूद की फसल से 4 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं। अनिल पाटीदार ने नंदन

फलोद्यान योजना में अपनी दो एकड़ जमीन पर अमरूद के एक हजार पौधे लगाये हैं। खेत में काम करने की मजदूरी और अन्य सामग्री के लिये मिले 2 लाख 69 हजार रुपये से उन्होंने खेत में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगवाया। सुरक्षा के लिये सोलर फेंसिंग भी करवाई। अमरूद के फलों से तीन ही सालों में अनिल पाटीदार की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ है। अमरूदों की अच्छी क्वालिटी से उन्हें बिक्री के लिये बाजार जाने की जरूरत नहीं है। प्रदेश और प्रदेश के बाहर के फल व्यापारी सीधे खेत पर पहुँचकर थोक में खरीदी कर रहे हैं। अनिल अब अपने गाँव में सफल फल उत्पादक के रूप में पहचाने जाते हैं।

XñVH$ A{^¶mZ'|
J«m'n§Mm¶Vm|Ho$ŠbñQ>a~Z|Jo

मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती ने भोपाल में विगत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ दस्तक अभियान की समीक्षा करते हुये कहा कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण नियंत्रण, टीकाकरण, टेकहोम राशन और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये घर-घर दस्तक देने के लिये संचालित होने वाले दस्तक अभियान की तैयारियों को समय पर सुनिश्चित करने को कहा है। इस संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा है कि 10 जून से 20 जुलाई तक प्रदेश में चलने वाले अभियान के क्रियान्वयन के लिये विकासखण्डों में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनायें। प्रत्येक विकासखण्ड में 10-10 ग्राम पंचायत का एक क्लस्टर गठित करें। प्रत्येक क्लस्टर का एक नोडल अधिकारी बनायें। यह अधिकारी विकासखण्ड और जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क में रहेगा और क्लस्टर में शामिल ग्राम पंचायतों में दस्तक अभियान के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण कड़ी होगा। किसी भी विभाग के अधिकारी को क्लस्टर का नोडल अधिकारी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान की विशेष ग्राम सभा में स्थानीय जन-प्रतिनिधि, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एनजीओ और स्व-सहायता समूह के सदस्यों को भी भागीदार बनायें। इससे अभियान का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

मुख्य सचिव श्री मोहंती ने जिलेवार दस्तक अभियान की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने श्योपुर जिले के कलेक्टर से पूर्व में कुपोषण नियंत्रण के लिये दिये गये निर्देशों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। श्री मोहंती ने कहा कि अभियान में बेहतर कार्य करने वाले पाँच कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा। स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास विभाग के बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी पुरस्कृत होंगे।

अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि दस्तक अभियान में स्वस्थ ग्राम सभा में स्व-सहायता समूह, डीपीएम और समूह प्रेरक की उपस्थिति सुनिश्चित करायें। वर्षाजनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिये विशेष पहल करें। श्रीमती सिंह ने कहा कि सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा दें ताकि स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की सामुदायिक ग्राहिता में वृद्धि हो और समुदाय के सर्वाधिक संवेदनशील समूह तक इन सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ ग्राम सभा में स्थानीय जन-प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, स्वस्थ ग्रामसभा की तदर्थ समिति के सदस्य, समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधि, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एलएचव्ही, कुष्ठवर्कर पुरुष सुपरवाईजर और साथियां दल के प्रतिनिधि को प्रतिभागी बनायें।

प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया और प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री नीतेश व्यास और आयुक्त महिला-बाल विकास श्री एम.बी. ओझा ने भी अभियान की तैयारियों पर कलेक्टरों को निर्देश दिये।

àYmZ‘§Ìr J«m‘ g‹S>H$ ¶moOZm ‘|

gS>H$m|Ho$AnJ«oS>oeZAm¡aNy>Q>oJm±dm|H$moOmoS>ZoH$mà¶mg

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास पर भेंट की और प्रदेश के विकास के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावित तृतीय चरण में वर्तमान सड़कों का अपग्रेडेशन करने का अनुरोध किया है। श्री नाथ ने योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उन गाँवों और बसाहटों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है, जो पहले इस योजना में छूट गए थे। श्री नाथ के अनुसार उनके इस प्रस्ताव के मान्य होने से छूटे गये गाँव भी पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे।

I{ZO CËIZZ H$s ~‹S>r n[a¶moOZmAm|H$moX|ñdrH¥$[{V

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का ध्यान मध्यप्रदेश में खनिज उत्खनन से संबंधित लगभग 20 बड़ी परियोजनाओं की ओर दिलाया, जो विभिन्न अनुमतियों के लिये भारत सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह अनुमतियाँ मिल जाती हैं तो प्रदेश को काफी अधिक मात्रा में राजस्व आय की प्राप्ति होगी।

गेहूँ उपार्जन की सीमा 75 लाख मीट्रिक टन करें

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूँ उपार्जन की सीमा 75 लाख मीट्रिक टन करने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदेश में गेहूँ उपार्जन पर वर्तमान में 67.25 लाख मीट्रिक टन की सीमा तय की गयी है। इसके पहले भारत सरकार ने माह फरवरी में 75 लाख मीट्रिक टन की सीमा स्वीकृत की थी। यह सीमा पुराने 4 वर्ष के उपार्जन के आंकड़ों के आधार पर तय की थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावित तृतीय चरण में वर्तमान सड़कों का अपग्रेडेशन करने का अनुरोध किया है। श्री नाथ ने योजना में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उन गाँवों और बसाहटों को भी शामिल करने का अनुरोध किया है, जो पहले इस योजना में छूट गए थे। श्री नाथ के अनुसार उनके इस प्रस्ताव के मान्य होने से छूटे गये गाँव भी पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का केन्द्र खोलने का अनुरोध करते हुए कहा कि भारत सरकार ने 2008 में यह केन्द्र खोलने का निर्णय लिया था।

‘ZaoJm ‘| X| ghm¶Vm

श्री कमल नाथ ने मनरेगा के कामगारों के भुगतान की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत श्रमिक बजट हर वर्ष जनवरी से पूर्व समाप्त हो जाता है। इस कारण 3 से 4 महीने तक श्रमिकों को भुगतान नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बुन्देलखंड एवं निमाड़ के जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा न होने की स्थिति की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि इसके कारण किसानों एवं अन्य निवासियों को रोजगार के लिये शहर से बाहर पलायन करना पड़ रहा है। इस पलायन को रोकने एवं क्षेत्र के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये मनरेगा के अंतर्गत भारत शासन से पर्याप्त सहायता की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का केन्द्र खोलने का अनुरोध करते हुए कहा कि भारत सरकार ने 2008 में यह केन्द्र खोलने का निर्णय लिया था। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा 163.25 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है । इस सेन्टर को शीघ्र खोला जाना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों के लिए बेरोजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भोपाल स्थित मंत्रालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यानिकी फसलों के लिए उपयोग का अधिकार देने का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शासकीय भूमि उपयोग का अधिकार देकर उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस भूमि पर मालिकाना हक सरकार का होगा। समय विशेष के लिए इस भूमि के उपयोग का अधिकार देकर युवाओं को ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो नगदी हैं और युवाओं को कम समय में लाभ दे सकती हैं।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को 24 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 12 प्रतिशत करने को कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा ब्याज दर के कारण कई स्व-सहायता समूह लाभ के बजाए कर्जदार हो जाते हैं।

उन्होंने वर्तमान में स्व-सहायता समूहों पर कर्ज भार का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और आवासहीनों को आवासीय पट्टा देकर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने को कहा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आवासहीनों को पट्टा वितरण का अभियान चलाया जाए। उन्होंने समय-सीमा में इसकी योजना तैयार करने को कहा।

- **बेरोजगार युवकों को भूमि उपयोग का अधिकार।**
- **स्व-सहायता समूहों को 24 के स्थान पर 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण।**
- **आवासहीनों को पट्टा वितरण शुरू।**
- **रुचि के हिसाब से मध्यान्ह भोजन।**
- **मजरे-टोले बनेंगे राजस्व ग्राम।**
- **रोजगार देना सुनिश्चित करें।**
- **जल-संरक्षण पर विशेष ध्यान।**

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों को रुचिकर भोजन देने को कहा। उन्होंने कहा कि पौष्टिकता के साथ बच्चों की खाने की रुचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे उन्हें पौष्टिक तत्व मिल सकें!

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार करने को कहा।

उन्होंने कहा कि इससे हम राज्य और केन्द्र की योजनाओं का लाभ वहाँ के रहवासियों को दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव के लिए स्थायी नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेक होम राशन के मामले में व्यवहारिक नीति बनाने को कहा ताकि इसे सफल बनाया जा सके।

श्री नाथ ने कहा कि कौशल विकास में दिये जाने वाले प्रशिक्षण संख्या आधारित होने के बजाए रोजगार आधारित होना चाहिए।

सिर्फ लक्ष्य पूरा करने पर नहीं बल्कि रोजगार सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। योजना में कितने प्रशिक्षित लोगों को रोजगार मिला, इसका भी आकलन करवाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने स्वच्छता मिशन में ओ.डी.एफ. घोषित गाँव की वास्तविकता का पता लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल-संरक्षण के काम पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी बचाने और पानी को संरक्षित करने की योजनाएँ सफल हों और जन-प्रतिनिधियों और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह, सचिव श्री उमाकांत उमराव एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से

ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल की मुलाकात

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने विगत दिनों नई दिल्ली में केन्द्रीय पंचायत राज, ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की। उन्होंने मनरेगा में मजदूरी की दर में वृद्धि, प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत, सामुदायिक स्वच्छता परिसर की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख और मनरेगा में वाटर कन्जर्वेशन कार्य में फण्ड प्रदान करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने चर्चा के सभी बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी की दर 174 रुपये प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर न्यूनतम कृषि मजदूरी दर के बराबर 205 रुपये प्रति मानव करने की माँग की। श्री पटेल ने कहा कि मनरेगा में स्थानीय माँग के अनुसार नई गतिविधियाँ जोड़ने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया जाये। उन्होंने मनरेगा की राशि समय पर जारी करने और बुंदेलखण्ड, निमाड़ तथा विंध्य प्रदेश में पानी की समस्या को देखते हुए फण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात भी केन्द्रीय मंत्री से कही।

श्री पटेल ने प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रामों और बसाहटों को शामिल किये जाने, कृषि विभाग की पॉली-हाउस, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर आदि योजनाओं में महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों को 50 प्रतिशत भागीदारी दी जाने की भी माँग की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे गरीब हितग्राही, जो प्रदेश में सर्वे से छूट गये हैं, को योजना से जोड़ने के लिये, प्रदेश को एक या दो प्रतिशत विवेकाधिकार कोटा प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

● अनिल वशिष्ट

प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी के क्रियान्वयन में देवास जिला अव्वल

उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा देवास जिले के प्रभारी श्री जीतू पटवारी ने बताया है कि प्रदेश के देवास जिले में सर्वाधिक पात्र किसानों को जय किसान ऋण माफी योजना से लाभान्वित किया गया है। जिले में कुल 2 लाख 27 हजार 718 आवेदन प्राप्त हुए। पहले चरण में 62 हजार 628 पात्र किसानों के लगभग 139.41 करोड़ के फसल ऋण माफ किये गये। उन्होंने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जय किसान ऋण माफी योजना में लाभान्वित 57 हजार 869 कृषकों की सूची क्षेत्रीय सांसद को सौंपी।

मंत्री श्री पटवारी ने बताया कि डिफाल्टर किसानों को भी खाद, बीज और नये ऋण की सुविधा दी जा रही है। जिले में अब तक 69 हजार 516 किसानों को 110.38 करोड़ ऋण वितरण किया जा चुका है। जिले की समितियों के पास 17 हजार 980 मीट्रिक टन खाद और उर्वरक उपलब्ध है। प्रभारी मंत्री श्री पटवारी ने निर्देश दिये कि शासन के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद, बीज एवं नया ऋण सुगमता से उपलब्ध हो। यदि कहीं समितियों द्वारा गड़बड़ी की जा रही हो, तो संबंधितों के विरुद्ध जाँच कर कड़ी कार्रवाई भी की जाये।

बुन्देलखण्ड के दसवीं से बारहवीं शताब्दी के

एक हजार तालाब होंगे पुनर्जीवित

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश में बुन्देलखण्ड अंचल के दसवीं से बारहवीं शताब्दी तक निर्मित लगभग 1000 तालाबों को पुनर्जीवित कराया जायेगा। इसके लिए विश्व बैंक के सहयोग से तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही हैं।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि बुन्देलखण्ड अंचल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या के स्थाई समाधान के लिये यह प्रयास किया जा रहा है। इसमें जनहित के कार्यों में रुचि रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होंने बताया कि कार्ययोजना में तालाबों के सर्वेक्षण, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, डीपीआर तैयार करने जैसे सभी आवश्यक कार्य ऑनलाइन किये जायेंगे।

सचिव ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सागर संभाग के 6 जिले सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और निवाड़ी शामिल किये गये हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में बुंदेला-चंदेलकालीन तालाब हैं, जो रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं। इन तालाबों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान और खेत तालाब के नक्शे तथा स्वीकृति अब ऑनलाइन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि सरपंचों की सुविधा की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा खेत तालाब और ग्रामीण क्रीड़ांगन बनाने के लिए नक्शा और प्राक्कलन को ऑनलाइन कर दिया गया है। इन कार्यों के लिए सरपंचों को अब कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए प्रदेश में 'सिक्यूर' साफ्टवेयर लागू किया गया है। इसमें किसान भाइयों के खेतों में जल-संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले खेत-तालाब की स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। खेत में 400 घन मीटर के तालाब निर्माण के लिए 38 हजार 680 रुपये, 1000 घनमीटर तालाब के लिए 1 लाख 294 रुपये तथा 3600 घनमीटर के तालाब के निर्माण के लिए 3 लाख 982 रुपये की स्वीकृति दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में क्रीड़ांगन के निर्माण के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी। इसमें 100X100 मीटर के मैदान के लिए 4 लाख 4 हजार 610, 800X60 मीटर के मैदान के लिए 2 लाख 19 हजार 602 तथा 60X10 मीटर आकार के मैदान के लिए 1 लाख 34 हजार 369 रुपये की स्वीकृति दी जाएगी। इन सभी मैदानों के लिए आदर्श नक्शे भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये हैं।

आजीविका मिशन में प्रत्येक सदस्य का बनेगा आजीविका प्लान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आजीविका मिशन में गठित समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से समूह के प्रत्येक सदस्य के घर का आजीविका गतिविधि प्लान तैयार किया जायेगा। इसके आधार पर 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ग्राम संगठन स्तर पर आजीविका गतिविधियों की कार्ययोजना तैयार की जायेगी। ग्राम सभाओं में अनुमोदन के बाद गतिविधियाँ शुरू की जायेंगी।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना व अन्य शासकीय योजनाओं खासकर कृषि, पशुपालन, मत्स्य-पालन, बाँस मिशन, आदि परियोजनाओं में कन्वर्जेंस से बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियाँ शुरू की जानी हैं। इसके लिये ग्राम संगठन स्तर पर मिशन के समूहों से जुड़े हितग्राहियों के घर का आजीविका गतिविधि प्लान तैयार किया जा रहा है। गाँव में समूह सदस्यों के पास कृषि योग्य भूमि तथा उनकी रुचि की गतिविधियों का उल्लेख ग्राम संगठन स्तर की आजीविका गतिविधि कार्ययोजना में शामिल किया जायेगा।

कार्ययोजना में समुदाय द्वारा चिन्हित की गई गतिविधियों में कौन-सी गतिविधि पहले शुरू की जानी है तथा किस हितग्राही को पहले मौका दिया जाना है इसका प्राथमिकता क्रम भी समुदाय द्वारा ही तय किया जायेगा। कार्ययोजना क्रियान्वयन के लिये चिन्हित जिला-स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से लगभग 2 लाख 40 हजार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 27 लाख 35 हजार परिवार को जोड़ा जा चुका है। मिशन ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये भी काम कर रहा है।

मनरेगा में होगी महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि मनरेगा में महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने महिला आजीविका स्व-सहायता समूहों को मनरेगा की क्रियान्वयन एजेंसी बनाया है। श्री पटेल ने कहा कि मनरेगा की कार्ययोजना बनाने, मजदूरों को मोबिलाइज करने, सोशल ऑडिट एवं मॉनिटरिंग के कार्य महिला स्व-सहायता समूहों से कराये जाएंगे।

J«m'rU{dH$mgamÁ¶gaH$ma H$s gdm}ƒ àmW{'H$Vm

विगत दिनों वाल्मी में सम्पन्न दो दिवसीय प्रशिक्षण में 313 विकासखण्ड अधिकारियों ने भाग लिया। इन अधिकारियों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आगामी वर्ष में प्रस्तावित पंचायत राज्य संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीण विकास है। पंचायत राज्य संस्थाओं द्वारा ग्रामीण विकास के लिये शासन की कल्याणकारी योजनाओं का निचले स्तर तक क्रियान्वयन किया जाता है। विकासखण्ड अधिकारी ग्रामीणों से सीधे संपर्क में रहते हैं। इसलिये ग्रामीण विकास में आपकी अहम भूमिका होती है। ग्रामीण विकास के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन में सतर्कता बरतें। अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा ओर ईमानदारी से निर्वहन करें।

पंचायत सचिवों के महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि

राज्य शासन ने पंचायत राज संस्थाओं के पंचायत सचिवों को देय महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किये हैं। वर्तमान में पंचायत सचिवों को छठवें वेतनमान में 148 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते में 6 प्रतिशत की वृद्धि से अब पंचायत सचिवों के वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन के योग पर जनवरी 2019 से 154 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा।

जिला एवं ग्राम स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिये विस्तृत कार्ययोजना

प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सशक्तिकरण योजना और जिला स्तर पर उपभोक्ता क्लब तथा उपभोक्ता मित्र योजना लागू की गयी है। इन योजनाओं के सार्थक क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जायेगा। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव ने उपभोक्ता कल्याण निधि स्थायी समिति की 21 जून को हुई बैठक में यह जानकारी दी।

सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय में बैठेंगे पटवारी

राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने 17 जून को मंत्रालय में वचन-पत्र की विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि पटवारी सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय में अनिवार्य रूप से बैठेंगे। अनुपस्थित पाये जाने वाले पटवारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पटवारी के बैठने का दिन कलेक्टर स्वयं निर्धारित करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधित लंबित मामलों में लीज का उपयोग शर्त के अनुरूप नहीं होने पर भूमि वापस लेकर अन्य उपयोगी कार्यों के लिये लीज पर दी जाएगी। प्राकृतिक आपदा और अग्नि दुर्घटना आदि की स्थिति में फसल के मुआवजे स्वरूप लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत राहत वितरण एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के पूर्व वितरित कृषि भूमि के पट्टे की जमीन 10 साल बाद कलेक्टर की अनुमति के बाद ही हस्तांतरण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर उस ग्राम को अपना स्वयं का नाम मिलेगा।

प्रदेश में 6 महीने में 1300 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन

लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 6 माह में 602 करोड़ खर्च कर 1300 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन और 1550 सड़कों का नवीनीकरण कराया गया है। इसी अवधि में 186 करोड़ लागत के 27 पुलों का निर्माण भी पूर्ण कराया गया है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क की ज्योमेट्रिक डिजाइन, रोड मार्किंग और रोड फर्नीचर का प्रावधान करने के बारे में मैदानी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

ग्रामीण अंचलों में 1150 नल-जल योजनाएँ स्वीकृत

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने बताया है कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल प्रदाय के लिये 1035 करोड़ लागत की 1150 नल-जल योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 350 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, 210 योजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है और 635 योजनाओं की डीपीआर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ पूर्व से प्रगतिरत 674 नल-जल योजनाओं को अक्टूबर माह तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्कूल चलें हम अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएँ पंचायत प्रतिनिधि

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से कहा है कि स्कूल चलें हम अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। उन्होंने कहा कि अभियान में शत-प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने वाली शालाओं और शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा।

श्री पटेल ने कहा है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा स्कूल जाने योग्य सभी बच्चों का स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर स्कूल चलें हम अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज प्रतिनिधियों का भी गाँव के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते यह नैतिक दायित्व है कि अभियान में सक्रिय भागीदारी दर्ज करायें।

बाल हितैषी पंचायत से बच्चों का समुचित विकास

बच्चे देश का भविष्य हैं, यदि वे स्वस्थ होंगे, सक्रिय होंगे, तो बेहतर भविष्य निर्मित होगा। इसीलिए बच्चों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। बाल विकास के लिए उनकी पर्याप्त देखभाल और सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए ग्राम पंचायत समाज की प्रारंभिक इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और विकास के लिए शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर निगरानी तक का समूचा कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा संभव है। वे ग्रामीणों के साथ मिलकर बच्चों के समग्र विकास की दिशा में महती भूमिका निभा सकती हैं। इसीलिए बाल हितैषी पंचायतों के निर्माण की अवधारणा का जन्म हुआ। बच्चों के टीकाकरण, स्कूल में बच्चों का नामांकन जांचना, उसका प्रतिशत देखना, शिक्षकों की उपस्थिति, शालात्यागी बच्चों का प्रतिशत, बच्चों के शिक्षण की स्थिति आदि बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। स्वच्छता के लिए शौचालय बनने से लेकर खुले में शौच से मुक्ति, किशोरियों के लिए सेनेटरी पेड का वितरण और उपयोग, बच्चों के मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था और गुणवत्ता, गांवों के विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता और व्यवस्था आदि देखरेख पंचायतों द्वारा की जा सकती है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर पोषण व्यवस्था की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गयी और बाल हितैषी पंचायत की अवधारणा विकसित हुई। जो पंचायतें बाल हितैषी हैं, अर्थात् बच्चों के मुद्दों पर व्यवस्था को लेकर सौ फीसदी कार्य कर रही हैं उन्हें पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है।

हमारे देश में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला बच्चा कहलाता है। उसे उत्तरजीविता पालन-पोषण, संरक्षण और प्रसन्न एवं स्वस्थ बचपन जीने का अधिकार है।

क्या आप जानते हैं?

बच्चों का भविष्य काफी हद तक प्रथम 1000 दिनों में उनके पोषण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अर्थात् माता के गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्म दिवस तक की अवधि के दौरान सही पोषण, बच्चों के भावी स्वास्थ्य, उनकी कुशलता और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्यथा उनके शारीरिक व मानसिक विकास को लेकर गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। जिनकी प्रायः आपूर्ति संभव नहीं हो पाती (स्त्रोत : विश्व की माताओं की स्थिति, 2012 : सेव दि चिल्ड्रन रिपोर्ट)।

बाल हितैषी ग्राम पंचायत : बाल हितैषी ग्राम पंचायत वह पंचायत है जिसके सभी प्रतिनिधि और सदस्य बाल हितैषी कार्यों को समझते हैं, क्रियान्वित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के मुद्दों पर आधारित कार्ययोजनाएं तैयार करते हैं, बच्चों की आवश्यकता के मुद्दों पर आधारित सेवाएं विकसित करते हैं और यदि वह सेवा दी जा रही है तो उसमें बेहतरी का प्रयास किया जाता है। ऐसी पंचायतें बाल हितैषी पंचायत कहलाती हैं।

ग्राम पंचायतों की भूमिका : ग्राम पंचायतें बच्चों को संरक्षण देने और उनके समुचित पालन-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं और बच्चों का विकास संविधान में सूचीबद्ध 29 कार्यों में

से एक है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना है। अतः ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी बच्चे लिंग, जाति और धर्म आदि के भेदभाव के बिना कानून और योजनाओं का लाभ उठा सकें। यदि कहीं बच्चे का शोषण या अत्याचार हो रहा हो तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें और कार्यवाही करें। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी बच्चे स्वस्थ रूप में जन्म लें, वे स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट रहें, वे सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। ग्राम पंचायतें बच्चों की समस्याओं की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जागरूक करने के साथ सहयोग प्रदान कर सकती हैं। आंगनवाड़ियों और विद्यालयों से समन्वय कर बच्चों की समस्या हल कर सकती हैं। बच्चों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत कैसे निभाएं अपनी भूमिका

ग्राम पंचायतें बच्चों की देखभाल से लेकर समुचित विकास के लिए एजेंसियों और विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अमले से मिलकर अपनी भूमिका निभा सकती हैं। बच्चों की देखभाल और विकास सुनिश्चित करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., आशा, विद्यालय के शिक्षक आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों और ग्राम पंचायत समितियों के साथ समन्वय कर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि पंचायत ने यह कार्य कर लिया तो बच्चों के जीवन, संरक्षण, संपोषण और विकास की

बाल्यावस्था की आवश्यकताएं

- उत्तरजीविता संबंधी आवश्यकता
- विकास संबंधी आवश्यकता
- संरक्षण से जुड़ी आवश्यकता
- भागीदारी से जुड़ी आवश्यकता

- **अपने आस-पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, आंगनवाड़ी, उद्यान, खेल के मैदानों आदि में बच्चों का अवलोकन करें।**
- **बच्चों के विभिन्न मुद्दों के बारे में उनके माता-पिता और परिवारों से विस्तारपूर्वक बात करें।**
- **बच्चों तथा परिवारों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आंगनवाड़ी, विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम बाल संरक्षण समिति की बैठकों तथा अन्य बैठकों में भाग लें।**
- **यदि संभव हो, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में दौरों के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ जाएं।**
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी और विद्यालय में उपलब्ध तथा ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में आंकड़े देखें।**
- **यदि अन्य स्रोतों से जानकारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, तो घर-घर जाकर सर्वेक्षण करें।**

संभावनाएं शत-प्रतिशत होंगी। सबसे पहले ग्राम पंचायत के अमले को यह जानना जरूरी है कि बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं?

बच्चों की आवश्यकताएं

बच्चों की मुख्य आवश्यकताएं हैं- उत्तरजीविता संबंधी आवश्यकताएं, विकास संबंधी आवश्यकताएं, संरक्षण से जुड़ी आवश्यकताएं और भागीदारी से जुड़ी आवश्यकताएं। यह सभी आवश्यकताएं बच्चों की आयु के अनुसार होती हैं। शून्य से 18 वर्ष तक की आयु के बीच बाल्यावस्था के विभिन्न चरण होते हैं। ये चरण हैं :- 1. प्रसवपूर्व अवस्था (गर्भावस्था के दौरान)। 2. शैशवास्था जन्म से 3 वर्ष तक। 3. प्रारंभिक बचपन की अवस्था (3-6 वर्ष तक)। 4. मध्य बचपन की अवस्था (6-10/12 वर्ष) । 5. किशोरावस्था (10/13-18 वर्ष)। किशोरावस्था का आरंभ अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग समय पर हो सकता है।

बचपन की प्रत्येक अवस्था में बच्चों की आवश्यकताएं, जीवित रहना, संरक्षण, विकास और भागीदारी महत्वपूर्ण है। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर हो गयी तो यह बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को बच्चों की आवश्यकताओं को अवस्था के अनुरूप पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले ग्राम पंचायत अमला और प्रतिनिधि बच्चों से संबंधित आवश्यकताओं के मुद्दे जानें और उनका निवारण क्षेत्रवार करने का प्रयत्न करें। मुद्दों की मुख्य ये चार श्रेणियां हैं -

उत्तरजीविता

- गर्भधारण और जन्म का पंजीयन।
- टीकाकरण।
- पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता।

संरक्षण

- बाल श्रम।
- बाल विवाह।

बाल यौन उत्पीड़न

- बाल अवैध व्यापार।
- शारीरिक दण्ड।
- माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चे।
- बच्चों के अहित में हानिकारक, धार्मिक, पारंपरिक और अंधविश्वासी प्रभाव।

विकास

- स्वास्थ्य और पोषण
- बाल्यावस्था के आरंभ में देख-रेख और शिक्षा।
- सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा।

- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे।
- किशोरावस्था।

भागीदारी

- संकट की संभावना वाले बच्चों की भागीदारी।
- विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी।
- शासन में बच्चों की भागीदारी।
- बाल-हितैषी सार्वजनिक स्थल।

ग्राम पंचायत सबसे पहले अपने क्षेत्र के बच्चों की आवश्यकता को लेकर पहचान करके उनकी समस्या का श्रेणीवार निवारण कर सकती है।

बाल हितैषी पंचायत बनाने के लिए आवश्यक कदम

बाल हितैषी पंचायत बनाने के लिए जरूरी है बच्चों की आवश्यकताओं और मुद्दों पर जागरूक किया जाये, लक्ष्य निर्धारित किया जाये, बाल हितैषी स्थिति का आकलन हो, व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की जाए ओर इस कार्ययोजना का पूर्णतः क्रियान्वयन हो। समय-समय पर इसका अनुश्रवण और मूल्यांकन भी किया जाये। ग्राम पंचायत के सदस्य, विभागीय अमला, ग्रामीण समुदाय, एस.एच.जी., अभिभावक और बच्चे मिलकर इस कार्य को आकार दे सकते हैं। यदि यह प्रत्येक पंचायत में संभव हो गया तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा और विकास में गुणात्मक वृद्धि होगी।

● प्रस्तुति : ज्योति राय

बाल हितैषी ग्राम पंचायत

मुख्य बिन्दु

- इस वर्ष ग्राम पंचायत क्षेत्र में कितनी गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया है?
- इस वर्ष ग्राम पंचायत में कितने जन्म पंजीकृत किये गये हैं?
- ग्राम पंचायत से कितने जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं?
- आपकी ग्राम पंचायत के बच्चों के टीकाकरण की स्थिति (कवरेज प्रतिशत) क्या है?
- वे कौन-से बच्चे हैं जिनकी, आपके अनुसार टीकाकरण से छूट जाने की संभावना है?
- पिछले वर्ष के दौरान आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिशुओं तथा 1-5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु की कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं? इन मृत्युओं के कारण क्या हैं?
- क्या आपकी ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी और विद्यालय में पेयजल की नियमित और बिना रुकावट आपूर्ति होती है?
- क्या प्रयोग करने योग्य विकलांग-हितैषी शौचालय हैं?
- क्या आंगनवाड़ी में नियमित स्वास्थ्यकर सत्रों का आयोजन किया जाता है?
- आपकी ग्राम पंचायत के कितने बच्चे अल्प-पोषित हैं?
- क्या आपकी ग्राम पंचायत के 3-6 वर्ष के सभी बच्चे आंगनवाड़ी अथवा अन्य ईसीसीई केन्द्रों में नामांकित हैं?
- क्या आपके पास 100 प्रतिशत विद्यालयपूर्व शिक्षा सुनिश्चित करने का कोई कार्यक्रम है?
- क्या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं?
- क्या वे नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं?
- क्या आपकी ग्राम पंचायत के सभी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं अथवा वे किसी प्रकार की शैक्षणिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं?
- क्या विद्यालयों में पर्याप्त अच्छी क्वालिटी की कार्यात्मक और बाधारहित अवसंरचना विद्यमान है?
- क्या आपके पास आपकी ग्राम पंचायत के किशोरों की संख्या और विवरणों पर आंकड़े उपलब्ध हैं?
- क्या आपकी ग्राम पंचायत में एएफएचसी है? क्या किशोर वहां नियमित रूप से जाते हैं?
- क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में किशोरियां और किशोर सबला और सक्षम कार्यक्रमों की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं?
- क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई बच्चा बाल-श्रम में लगा हुआ है?
- क्या आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम बाल संरक्षण समिति है?
- क्या इसकी नियमित बैठकें होती हैं तथा यह ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों के मुद्दों पर चर्चा करती हैं?
- क्या वीसीपीसी में दो बाल प्रतिनिधि हैं, जो 14 वर्ष से अधिक आयु का एक बालक और एक बालिका हैं?
- क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाल विवाह की प्रथा विद्यमान है?
- क्या आपकी ग्राम पंचायत ने जन्म और विवाह का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त कर लिया है?
- क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाल यौन-उत्पीड़न के किसी मामले में सूचना प्राप्त हुई है?

बाल हितैषी ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय कार्यशाला

बच्चों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। बच्चों के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि समाज में वातावरण निर्मित हो और बाल विकास के सभी पक्षों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। बच्चों के विकास के लिए आधारभूत योजना बने इसी उद्देश्य से ग्वालियर में केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में बाल हितैषी पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ग्वालियर में 26 से 27 फरवरी तक आयोजित इस कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश श्रीमती गौरी सिंह, तत्कालीन संचालक पंचायत राज संचालनालय श्रीमती उर्मिला शुक्ला तथा अन्य संबद्ध अधिकारियों द्वारा कार्यशाला में मार्गदर्शन दिया गया। पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार, NIRD एवं PR तथा UNICEF के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला में लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भाग लेने वालों में मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल के सरपंचों तथा SIRD, KILA, NIRD हैदराबाद आदि के प्रतिनिधियों तथा वक्ताओं ने उद्बोधन दिये और अपने-अपने राज्यों में किये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गयी। देश की कई ग्राम पंचायतों द्वारा मॉडल प्रस्तुत किये गये। इस कार्यशाला में मुख्य बात यह रही कि ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में बच्चे अपने विकास और अपने हित से संबंधित मुद्दों को पंचायत के माध्यम से रख सकेंगे। भारत UNCRC (United National Convention on the Right of Child) का प्रमुख सदस्य है। भारत ने 2004 में बच्चे के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना भी तैयार की थी। उल्लेखनीय है कि बाल अधिकारों का पालन तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर बिना किसी भेदभाव के बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों में समझ विकसित हो और फिर वे इस हेतु आवश्यक प्रबंधन करें। इसी आधार पर बाल अनुकूल पंचायत की अवधारणा निर्मित हुई है।

इसमें बालकों को प्रदान किये गये सभी अधिकार प्रदान किये जायेंगे, जिसमें प्रत्येक बालक और बालिका अपने जीवनयापन, विकास, सहभागिता और सुरक्षा संबंधित अधिकारों का उपयोग कर सके। बाल अनुकूल स्थानीय योजनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समाज में अनुकूल वातावरण बने और किसी भी स्तर पर कोई भी बालक अपने हित लाभों से वंचित ना रहे। योजनाएं स्थानीय बाल हित को ध्यान में रखकर ही बनायी जावें ताकि प्रत्येक बच्चा इनसे लाभ प्राप्त कर सके। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के नवीन दिशा-निर्देशों के तहत ग्राम पंचायतों को बाल अनुकूल वातावरण मिलेगा और वे अपनी पंचायत को बाल हितैषी पंचायत के रूप में परिवर्तित कर सकेंगी।

● प्रस्तुति : विजय देशमुख

बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार

जिन ग्राम पंचायतों ने बाल विकास के सभी मुद्दों पर सौ प्रतिशत कार्य किया हो और बालकों के जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य, विकास और सहभागिता को सुनिश्चित करती हो उन पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है। इसे बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस पुरस्कार से जहाँ समूचे देश को यह जानकारी प्राप्त होगी कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहीं एक पंचायत के पुरस्कृत होने से अन्य पंचायतों को प्रेरणा मिलेगी और इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होगा।बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में किये गये कार्यों तथा पहलों की पहचान करना और उसे समाज के साथ साझा करना है। भारत शासन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों से नामांकन आमंत्रित किये गये हैं। बाल हितैषी पंचायत चयन के लिये कुछ संकेतांक दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं :-

1. ग्राम पंचायत में बच्चों का टीकाकरण। 2. ग्राम पंचायत के स्कूलों में बच्चों का नामांकन। 3. ग्राम पंचायत के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति। 4. ग्राम पंचायत के प्राथमिक, माध्यमिक एवं सेकेण्डरी स्तर के विद्यालयों में शाला छोड़ने वाले बच्चों की दर। 5. ग्राम पंचायत में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति। 6. बालिकाओं की सफाई-स्वच्छता (ग्राम पंचायत में किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी पैड का वितरण)। 7. ग्राम पंचायत क्षेत्र की शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण और उसका सामाजिक अंकेक्षण। ग्राम पंचायत में पेयजल की स्थिति, ग्राम पंचायत में सुरक्षित एवं कार्यरत खेल मैदान की उपलब्धता। 8. ग्राम पंचायत में

बच्चों के पोषण की स्थिति।

बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार के लिए पंचायत राज मंत्रालय के निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय द्वारा इन सभी संकेतांकों के मापन और आकलन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। बाल हित में काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं की बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में यूनिसेफ, समर्थन, ट्रांसफॉरमेशन, रूरल इंडिया, बचपन, वर्ल्ड विज़न, प्रदान और एकलव्य संस्थाओं को आमंत्रित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायतों से बाल हित में किये गये कार्यों का प्रस्ताव मंगाया जाये। प्राप्त प्रस्तावों का भारत शासन से मूल्यांकन के लिए दिये गये 8 बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाये। प्रदेश में बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार को लेकर गठित समिति में शामिल हैं -

- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - अध्यक्ष
- संचालक, पंचायत राज संचालनालय - सचिव
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल - सदस्य
- संयुक्त संचालक, आरजीएसए - सदस्य
- राज्य कार्यक्रम समन्वयक, आरजीएसए - सदस्य
- यूनिसेफ, भोपाल - एक नामांकित सदस्य
- ट्रांसफॉरमेशन रूरल इंडिया, भोपाल - एक नामांकित सदस्य
- बचपन, भोपाल - एक नामांकित सदस्य
- एकलव्य, भोपाल - एक नामांकित सदस्य
- प्रदान, भोपाल - एक नामांकित सदस्य
- समर्थन, भोपाल - एक नामांकित सदस्य

पुरस्कार के लिए निर्मित समिति द्वारा संकेतांक के आधार पर मूल्यांकन किया गया और प्रदेश की बाल हितैषी पंचायतों के नाम राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए भेजे गये हैं। अब तक मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किये गये नवाचार और अनुकरणीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यदि बाल हित में किये गये कार्यों को लेकर भी मध्यप्रदेश ने अपनी विशेष पहचान बनाई, तो निश्चित ही प्रदेश बाल विकास की कारगर पहल के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा।

● प्रस्तुति : रीमा राय

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित वाल्मी म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाला एक उत्कृष्ट संस्थान है। यह संस्थान पिछले 33 वर्षों से राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टाफ और किसानों के लिए भूमि प्रबंधन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है।

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस संस्थान को मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। संस्थान को 1998 में ग्रामीण विकास विभाग में शामिल किया गया है। वर्ष 2014 में वाल्मी का पुनर्गठन किया गया। इस संस्थान द्वारा दो पृथक स्कूलों, वाल्मी स्कूल ऑफ वॉटरशेड मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट एवं वाल्मी स्कूल ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट के माध्यम से शोध क्रियाओं, फॉर्म ट्रायल्स, विषय अध्ययन के आधार पर कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम संचालित करने तथा जल एवं भूमि प्रबंधन के अन्य कार्यों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध की जा रही है।

जल, भूमि एवं पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण, परामर्श, क्रियात्मक अनुसंधान और अनुशंसाएं प्रदान कर देश व प्रदेश में आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

संस्थान के उद्देश्य

- विज्ञान की प्रगति एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को अपनाकर सैद्धांतिक विधियों से सिंचाई प्रबंध एवं भूमि संधारण को प्रोत्साहन देना।
- सिंचाई प्रबंध और भूमि विकास से संबंधित अनुसंधान और प्रयोग करना तथा इन क्षेत्रों में क्रियाशील अन्य संस्थाओं से सहयोग कर शासन की क्षेत्रीय संस्थाएं एवं अन्य संस्थाओं को सिंचाई प्रबंध, भूमि सुधार एवं असिंचित कृषि में परामर्श प्रदान करना।
- सिंचाई प्रबंध एवं भूमि सुधार से संबंधित प्रशिक्षण के लिये संस्थान एवं अन्य विभागों के सदस्यों को देश अथवा विदेश के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजना।
- संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्रिका, नियतकालिक पत्रिकायें, समाचार पत्रिका, पुस्तकें, पोस्टर आदि का प्रकाशन करना।
- सिंचाई प्रबंध में कृषकों की सक्रिय भागीदारी सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित करना तथा सिंचित एवं असिंचित कृषि में जल के समुचित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
- भूमि प्रबंध एवं वर्षा आधारित कृषि व्यवस्थापन के लिए प्रारूपों को विकसित करना और उसकी उपयोगिता तथा सार्थकता का प्रदर्शन। (अधिकारियों एवं कृषकों

को अनुकूल प्रशिक्षण देना)

- जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम को सक्रियता से लागू करने और स्थानीय भूमि प्रबंध से संबंधित संस्थाएं जैसे राज्य भूमि एवं पड़त भूमि विकास मंडल इत्यादि से संबंध स्थापित करना।

वाल्मी के कार्य क्षेत्र

प्रशिक्षण : प्रशिक्षण की रणनीति के लिए वाल्मी द्वारा प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया जाता है और फिर प्रशिक्षणार्थियों के कैडर के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल्स डिजाइन किये जाते हैं। संस्थान ने विभिन्न विषयक प्रशिक्षणों के लिए संसाधन व्यक्तियों (Resource Persons) को भी सूचीबद्ध (Empanelled) किया है, जिनकी सेवाएँ कोर्स मॉड्यूल डिजाइन तथा व्याख्यानों के लिए ली जाती हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रुचिकर, अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से व्याख्यानों में आधुनिक दृश्य-श्रृव्य उपकरणों के साथ-साथ पेनल डिस्कशन्स सामूहिक गतिविधियाँ, समूह प्रस्तुतीकरण, रोल प्ले, प्रक्षेत्र भ्रमण, मूल्यांकन इत्यादि का भी समावेश किया जाता है।

प्रशिक्षणों के कोर्स मॉड्यूल में क्लास रूम में प्रशिक्षण के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन, योग इत्यादि को भी शामिल किया जाता है ताकि प्रशिक्षण अवधि तथा प्रशिक्षण उपरान्त प्रतिभागियों में फील्ड में किये जा रहे कार्यों में टीम बिल्डिंग, स्वस्थ वातावरण और अनुशासित व्यवहार विकसित हो, इससे कार्यों को बेहतर स्वरूप में किया जा सकता है।

प्रशिक्षण विषय एवं विशेषज्ञता : संस्थान द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं पर प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं:-

- जल संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन।
- कृषि उपयोग नियोजन, विकास एवं प्रबंधन।
- मृदा व जल संरक्षण।
- जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन।
- उद्यानिकी एवं वानिकी विकास।
- फसल उत्पादन व उत्पादकता।
- जैविक खेती।
- जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency) एवं प्रति बूंद अधिक उत्पादन (More crop per drop)।
- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन।
- आजीविका निर्माण।
- निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी कौशल्य विकास।
- छतीय जल संग्रहण (Roof Water Harvesting)।
- मृदा जांच एवं अनुशंसाएं।
- कृषि क्लीनिक एवं कृषि बिजनेस।
- कार्यालयीन प्रबंधन।
- सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट
- सिंचाई जल एवं पेयजल गुणवत्ता विश्लेषण।
- लॉजिकल फ्रेमवर्क आधारित परियोजना नियोजन, अनुश्रवण व मूल्यांकन।
- पंचायती राज व्यवस्था।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य।
- कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स।
- सिंचाई प्रणाली - परिचालन एवं रख-रखाव।
- स्व-सहायता समूह।

इन प्रशिक्षणों के अतिरिक्त संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं से जुड़े अमले जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखंड अधिकारी, परियोजना अधिकारी, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी, प्रशासनिक व लेखा संबंधी स्टाफ इत्यादि के लिए भी आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थान द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार दीर्घावधि (90 दिवस) से अल्पावधि (1-3 दिवस) श्रेणी के होते हैं।

अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान

जल एवं भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान संस्थान की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है। अपनी स्थापना के साथ ही संस्थान द्वारा सिंचाई जल प्रबंधन एवं सिंचाई क्षेत्र विकास में आ रही समस्याओं के निराकरण और आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विषयों पर अनुसंधान व क्रियात्मक अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किये गये। प्रदेश में सृजित की गई सिंचाई क्षमता एवं संग्रहित जल से हो रही वास्तविक सिंचाई के बीच में आ रहे अंतर को दूर करने और कुशल जल प्रबंधन विषयक अनुसंधान संस्थान की प्राथमिकता है। ये अनुसंधान संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से संबंधित विभागों एवं एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर संपादित किये गये हैं। प्रति बूंद अधिक उत्पादन की अवधारणा के महत्व को ध्यान में रखकर संस्थान द्वारा उन्नत सिंचाई प्रणालियों जैसे स्प्रिंकलर ड्रिप, बॉर्डर स्ट्रिप, चेक बेसिन इत्यादि के उपयोग और प्रचार-प्रसार आधारित अनेक क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाएँ संस्थान द्वारा संपादित की गईं। भारत शासन की ''कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना'' अंतर्गत संस्थान द्वारा प्रदेश के 18 जिलों के 180 कृषकों के खेतों पर "More crop per drop" अवधारणा अंतर्गत ट्रायल्स डाले गये और विभिन्न उन्नत सिंचाई प्रणालियों का तकनीकी विस्तार किया गया। सिंचाई क्षेत्रों के साथ-साथ संस्थान का वर्षा आश्रित क्षेत्रों में भी जलग्रहण क्षेत्र विकास की अवधारणा के अनुरूप कार्य कर उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। संस्थान द्वारा जलग्रहण क्षेत्र विकास से जुड़े मैदानी अमले को न सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदाय किये गये अपितु अनुसंधानात्मक दृष्टि से जलग्रहण क्षेत्र विकास के कार्य किये गये। मृदा एवं जल का संरक्षण, संवर्धन एवं कुशल प्रबंधन संबंधित तकनीकों को संस्थान द्वारा परियोजनाओं के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया गया है। संस्थान द्वारा संपादित की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं एवं अनुसंधान कार्य इस प्रकार हैं:-

- चम्बल प्रोजेक्ट के फेज 2 का प्रबंधन एवं संरक्षण।
- म.प्र. के अभिलक्षित सिंचाई प्रोजेक्ट्स में एक्शन रिसर्च प्रोग्राम का संचालन।
- सिस्टम ऑपरेशन एवं जल निर्गमन हेतु गाइडलाइन निर्धारण।
- पिटकुही ग्राम में एल.आई.एस. के किसानों के संगठन का अर्थशास्त्र।
- सिंचाई प्रोजेक्ट्स में किसान संगठनों का अध्ययन।
- एस.ए.एस. प्रोजेक्ट का सामाजिक एवं आर्थिक मानदंड अध्ययन।
- बुआई पूर्ण सिंचाई का अध्ययन।
- जल संसाधन विभाग के मानव संसाधन का आकलन।
- बारना सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए कम्प्यूटराइज्ड ऑपरेशन प्लान।
- चम्बल कमांड में मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की जांच।
- सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट की पूर्णता उपरान्त प्रदर्शन का मूल्यांकन।
- जल संसाधन विभाग की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन।
- रिसर्च प्रोग्राम।
- ओंकारेश्वर सागर प्रोजेक्ट के कमांड एरिया डेवलपमेंट का प्लान।
- बाघेला वॉटरशेड जिला राजगढ़ के लिए कार्ययोजना का विकास।
- सेमरी माइक्रो वॉटरशेड जिला सीहोर का विकास।
- ढाबोती माइक्रो वॉटरशेड जिला सीहोर का आंशिक विकास।
- मध्यप्रदेश के चयनित जिलों में पानी रोको अभियान का मूल्यांकन।
- मध्यप्रदेश की वॉटरशेड परियोजनाओं का मूल्यांकन।
- एनएफएफडब्ल्यूपी के तहत बड़वानी जिले की परिप्रेक्ष्य योजना।
- एनआरईजीएस-एमपी के तहत होशंगाबाद और जबलपुर जिले की परिप्रेक्ष्य योजना।
- मध्यप्रदेश के चार शहरों के लिए जी.आई.एस. आधारित अर्बन रन ऑफ मॉडल का विकास।
- एमपीडब्ल्यूएसआरपी परियोजना के प्रभावों की तुलना करने के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं और किसानों का सर्वेक्षण।
- एमपीडब्ल्यूएसआरपी के तहत जल संसाधन विभाग की जल उपभोक्ता संथाओं का फील्ड प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग।
- कृषक सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम - मोर क्रॉप पर ड्रॉप
- डी.एन.आई.डी. प्राधिकरण, डेनमार्क सरकार के तहत मध्यप्रदेश के रतलाम, धार और झाबुआ में ग्राम स्तर संस्थानों का प्रभावी मूल्यांकन।

संस्थान द्वारा प्रगतिरत परियोजनाएं

- जल संसाधन विभाग से कैड के अंतर्गत 5 सिंचाई परियोजनाओं (सिंध फेज 2, बरियारपुर, सगड, बाह एवं माही) कॉन्करेंट थर्ड पार्टी मूल्यांकन अध्ययन हेतु टी.ओ.आर. जल संसाधन विभाग से अनुमोदित होकर प्राप्त हो गया है।
- जल संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन को चंबल परियोजना के बेंचमार्किंग अध्ययन के कार्य को वाल्मी को दिए जाने बाबत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
- जल संसाधन विभाग द्वारा 15 सिंचाई परियोजनाओं के जल उपयोगिता दक्षता अध्ययन संस्थान को दिए जाने हेतु अनुशंसा की है। यह अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित होंगे।

सलाहकारिता

संस्थान द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (Training Need Analysis) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से Feedback प्राप्त कर विभिन्न विभागों की आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की अनुशंसाएँ प्रदान की जाती हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल्स व पठन सामग्री विकसित की जाती है। जल संसाधन विकास के क्षेत्र में संस्थान द्वारा ऑपरेशनल प्लान का निर्माण, इरिगेशन शिड्यूलिंग फसल नियोजन, फसल जल आवश्यकता का आकलन, जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency), पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में सलाहकारिता सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य की ओंकारेश्वर सागर परियोजना, जिसका सिंचाई क्षेत्र 1,46,800 हेक्टेयर हेतु सिंचाई क्षेत्र विकास का प्लान संस्थान द्वारा तैयार किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत जिला सिंचाई प्लान एवं राज्य सिंचाई प्लान के निर्माण में संस्थान द्वारा आवश्यकता अनुरूप सलाहकारिता सेवाएं एवं सहयोग प्रदाय किया जा रहा है। राज्य में संचालित की जा रही जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में संस्थान द्वारा आवश्यक सलाहकारिता सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पूर्व में भी संस्थान द्वारा एनआरईजीएस योजनान्तर्गत योजना का निर्माण कार्य किया जाकर जिलों के विकास के लिए सलाहकारिता सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। संस्थान स्थित मृदा विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा मृदा व जल की जाँच उपरान्त कृषकों एवं मत्स्योत्पादन से जुड़े अमले को आवश्यक अनुशंसाएँ और सलाह प्रदान की जाती है।

प्रदर्शन प्रक्षेत्र

संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की फील्ड ट्रेनिंग और प्रेक्टिकल्स आयोजित किये जाने के लिए संस्थान में 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल का प्रदर्शन प्रक्षेत्र विकसित किया गया है। इस प्रक्षेत्र में विभिन्न भूमि सामर्थ्य वर्ग की भूमि शून्य से 25-30 प्रतिशत ढाल के साथ उपलब्ध है। भूमि प्रकार एवं ढाल प्रतिशत के आधार पर भूमि उपयोग नियोजन कर प्रक्षेत्र में उद्यानिकी, वानिकी एवं कृषि फसलों के

उत्पादन की तकनीक प्रदर्शित की जाती है। जलग्रहण क्षेत्र विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए प्रक्षेत्र में विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं जैसे कंटूर ट्रैंच, कंटूर बंड, लूज बोल्डर संरचना, ब्रुश वुड संरचना, गेबियन संरचना, वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक सेंड बेग संरचना इत्यादि निर्मित की गई हैं। वॉटरशेड आधारित प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को न सिर्फ ये संरचनाएं दर्शाई जाती हैं, अपितु उनके द्वारा संरचनाओं का निर्माण भी करवाया जाता है। प्रक्षेत्र में मोर क्राप पर ड्राप की अवधारणा अंतर्गत जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की विभिन्न विधियों को भी प्रदर्शित किया जाना है ताकि प्रति सिंचाई की बूंद से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन्नत सिंचाई प्रणालियों जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंक्लर इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप, चेक बेसिन इत्यादि के एक ही जगह प्रदर्शन किये जाने से प्रतिभागियों को कम समय में अधिक तकनीकी एक्सपोजर मिलता है। संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र में जैविक खेती की विभिन्न तकनीकों जैसे वर्मीकम्पोस्ट नॉडेप, हरी खाद इत्यादि का भी प्रदर्शन किया जाकर जैविक खाद प्राप्त की जाती है। प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर ए-फ्रेम द्वारा समोच्च रेखा का चिन्हांकन, मृदा व जल संरक्षण संबंधित संरचनाओं का निर्माण, उद्यानिकी फसलों में बंडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग इत्यादि के प्रयोग किये जाना अत्यन्त उपयोगी तथा लाभकारी बताये जाते हैं।

प्रयोगशालाएँ

मृदा विज्ञान प्रयोगशाला :

मृदा एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यक विभिन्न गुणधर्म के निर्धारण व जांच किये जाने और संबंधित उपकरणों के उपयोग के प्रदर्शन किये जाने के उद्देश्य से संस्थान में एक मृदा विज्ञान प्रयोगशाला विकसित की गई है। प्रयोगशाला में सिंचाई नियोजन किये जाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरण जैसे टेंशोमीटर, मॉइश्चर मीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर इत्यादि पर प्रेक्टिकल कराये जाते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता परीक्षण हेतु pH meter, Conductivity Bridge, Flame Photometer, Spectrophotometer, Atomic Absorption Spectrometer इत्यादि उपकरणों द्वारा मृदा में पाये जाने वाले विभिन्न प्रमुख पोषक तत्वों (N, P, K, Ca, Mg, S इत्यादि) एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों (Fe, Mn, Zn, Cu, Bo, Mo, C1 इत्यादि) की जांच की सुविधा है एवं इन उपकरणों का उपयोग सिखाया जाता है।

मौसम विज्ञान प्रयोगशाला

संस्थान के प्रदर्शन प्रक्षेत्र में एग्रो मेटेरोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित है। जहाँ वर्षा मापक यंत्र, Sun Shine Recorder, Anemometer Evaporimeter, Max. Min Temperature Screen, Soil Thermometer इत्यादि उपकरणों द्वारा मौसम के विभिन्न पेरामीटर्स ज्ञात करने के प्रदर्शन किये जाते हैं एवं मौसमीय आंकड़ों को पुणे स्थित वेधशाला में भी भेजा जाता है।

हाइड्रॉलिक लेबोरेटरी

उपयोग में लाये जाने वाले जल बहाव ज्ञात करने के लिए विभिन्न उपकरणों के प्रदर्शन एवं प्रयोग संपादित किये जाने के उद्देश्य से संस्थान में एक हाइड्रॉलिक लेबोरेटरी है जहाँ विभिन्न फ्ल्यूम्स एवं नोचेस द्वारा जल बहाव ज्ञात किया जाने के प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

संगणक प्रयोगशाला

शासन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन विकास की संरचनाओं में कम्प्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग पर स्टाफ को प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य से संस्थान में एक संगणक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला द्वारा संस्थान की वेबसाइट www.mpwalmi.org निर्मित की गई है, जिसमें निम्न जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं:– 1. संस्थान के बारे में। 2. संस्थान के उद्देश्य। 3. शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति की जानकारी। 4. संकाय सदस्यों की जानकारी। 5. केम्पस। 6. वाल्मी पहुँच मार्ग का मानचित्र। 7. संस्थान की विभिन्न सुविधाओं जैसे - छात्रावास, भोजनालय, व्याख्यान कक्ष, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, सेमीनार हॉल आदि। 8. संस्थान द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन आदि। 9. प्रशिक्षण संबंधी जानकारी। 10. फोटो गैलरी। 11. विजन, मिशन, गोल एवं वेल्यूज।

अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ

व्याख्यान कक्ष एवं कांफ्रेंस हॉल :

संस्थान में आठ व्याख्यान कक्ष उपलब्ध हैं। जहाँ 30-50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 170 व्यक्तियों की

क्षमतायुक्त ऑडिटोरियम, 60 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त कांफ्रेंस हॉल, 25 व्यक्तियों की क्षमतायुक्त मीटिंग हॉल उपलब्ध है। प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संस्था में एक मुक्ताकाश ऑडिटोरियम भी निर्मित है, जिसकी क्षमता 150 व्यक्तियों की है।

पुस्तकालय

संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों के लिए पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कृषि, सिंचाई, कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, मृदा विज्ञान, प्रबंधन, ग्रामीण विकास, समाज विज्ञान, साहित्य (हिन्दी व अंग्रेजी) तथा विभिन्न विषयों व संकायों से संबंधित लगभग 2400 पुस्तकों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार-पत्र, पत्रिकायें, जर्नल्स, वीडियो, ऑडियो उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में लगभग 40-45 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की व्यवस्था है।

छात्रावास

संस्थान में 63 शयन कक्ष, 02 डॉरमेट्री तथा एक सामुदायिक भवन (भोज परिसर) सहित 304 प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास में सभी कक्ष सर्वसुविधायुक्त सुसज्जित हैं।

मेस

संस्थान में 150 प्रशिक्षणार्थियों की बैठक व्यवस्था के साथ एयरकूल्ड भोजनालय की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें प्रतिदिन सुबह का चाय-नाश्ता, दोपहर एवं रात्रि भोजन, तय मेनु अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजनालय में आर.ओ. का शुद्ध व शीतल पेयजल, वॉशरूम आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण के दौरान विशेष अवसरों जैसे- उद्घाटन समारोह, समापन समारोह, अति विशिष्ट अतिथियों के आगमन इत्यादि पर हाई टी एवं स्पेशल डिनर भी आयोजित किया जाता है।

परिवहन

संस्थान शहर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। संस्थान की 40 सीटर बस द्वारा प्रशिक्षणों में प्रतिदिन न्यू मार्केट (6.00 से 8.30 बजे तक) भ्रमण एवं अंतिम दिन बस स्टैण्ड एवं रेल्वे स्टेशन पर छोड़ने की व्यवस्था की जाती है। स्थानीय भ्रमण व 200 किलोमीटर की सीमा में प्रक्षेत्र भ्रमण संस्थान की बस द्वारा कराया जाता है। प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में अनुबंधित बाहरी एजेंसी से ए.सी. बस व छोटे वाहनों की व्यवस्था की जाती है।

भविष्य के आयाम

- संस्थान को एकीकृत खेती के प्रदर्शन स्थल के रूप में विकसित किया जाना और कृषि, उद्यानिकी, सिंचाई प्रबंधन, मृदा व जल संरक्षण इत्यादि की आधुनिक उन्नत प्रौद्योगिकी का विस्तार करना।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर खेती को पानी, जलग्रहण क्षेत्र विकास इत्यादि पर सलाहकारिता सेवाएँ प्रदाय करना एवं डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान और स्टेट इरिगेशन प्लान के निर्माण में सहयोग प्रदान करना।
- ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय संतुलन के लिए कार्बन क्रेडिट संबंधित अध्ययन व अनुशंसाएँ।
- Virtual Water Management
- जल प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, आजीविका निर्माण, जलग्रहण क्षेत्र विकास, सामाजिक कार्य इत्यादि क्षेत्रों में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करना।
- जल एवं भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में डाटा बेस संकलित कर डाटा सेंटर के रूप में कार्य कर सलाहकारिता सेवाएँ प्रदान करना।
- ग्राम विज्ञान केन्द्र का विकास।
- संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के मानदंडों के अनुरूप विकसित किया जाना।

संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचार

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा विगत कई वर्षों से लघु एवं दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकता अनुसार आयोजित किये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में यह अनुभव किया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी व

प्रशासनिक प्रकृति के व्याख्यानों का निरन्तर समावेश प्रतिभागियों को तनाव ग्रस्त कर एक बोझिल वातावरण निर्मित करता है जिससे प्रतिभागियों में आनन्द व उत्साह की कमी आने लगती है। वे तनाव ग्रस्त रहने लगते हैं। प्रतिभागियों को एक स्वस्थ, उत्साहवर्धक एवं आनन्दपूर्ण वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रतिभागियों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नवाचार शामिल किये गये हैं, जिसके प्रभावी परिणाम प्राप्त हुए।

सहभागिता आधारित मूल्यांकन

पूर्व में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं संसाधन व्यक्तियों का मूल्यांकन प्रतिभागियों द्वारा एक तय फार्मेट में किया जाता था, जिसे अब प्रतिभागियों द्वारा प्रत्येक दिवस प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरान्त सामूहिक रूप से किया जाता है। प्रत्येक दिवस प्रशिक्षण उपरान्त उस दिन लीड रोल निभा रहे प्रतिभागी द्वारा कक्षा में दिन भर की गतिविधियों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। प्रतिभागियों द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि पर उनके विचार (Feedback) प्राप्त किये जाते हैं। सामूहिक निर्णय लेते हुए विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। उस विशेष दिन के लिए नियुक्त रिपोर्टर फीड बेक सेशन की रिपोर्ट बनाता है और कोर्डिनेटर को प्रस्तुत करता है। चक्रीय आधार (Rotational Basis) पर यह कार्य प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा किया जाता है। इस गतिविधि से प्रतिभागी प्रशिक्षण के दौरान सक्रिय रहते हुए भाग लेते हैं। साथ ही उनमें प्रस्तुतीकरण कौशल भी विकसित होता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के अंतिम सप्ताह प्रतिभागियों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य स्किट, कविता पाठ इत्यादि का समावेश किया जाता है। प्रतिभागियों को इसमें अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। कार्यक्रम का संचालन और

उसकी रूपरेखा का निर्धारण प्रतिभागियों द्वारा ही किया जाता है। मंच की साज-सज्जा, प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय जैसे- उद्यानिकी एवं वानिकी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन इत्यादि थीम पर आधारित रहती है, जो प्रतीकात्मक तौर पर प्रशिक्षण विषय को प्रदर्शित करती है। इस तरह की गतिविधि न सिर्फ प्रतिभागियों को मनोरंजन व आनन्द प्रदान करती है, अपितु उनमें मौजूद कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करती है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संबंधित विभाग के अधिकारियों और संसाधन व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है, जिनके साथ कार्यक्रम उपरान्त एक अनौपचारिक वातावरण में रात्रि भोजन का आयोजन किया जाता है।

खेलकूद गतिविधियाँ

प्रत्येक दिवस प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को छात्रावास में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों जैसे- बेडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम, रस्साकशी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिभागियों में से ही चयनित खेल मॉनिटर इन गतिविधियों का संचालन करते हुए विभिन्न मैच आयोजित करते हैं। सांस्कृतिक संध्या आयोजन के समय जीतने वाले प्रतिभागी अथवा दल को पुरस्कृत किया जाता है। खेलकूद गतिविधियाँ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के एकरसता पूर्ण वातावरण से बाहर निकाल उन्हें मनोरंजन प्रदान करती हैं। साथ ही उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में भी सहायक होती है।

समूह प्रस्तुतीकरण एवं रोलप्ले

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किये गये विषयों का चयन कर उन्हें प्रतिभागियों के विभिन्न समूहों को आवंटित किये जाते हैं। जिन्हें SWOT, LFA इत्यादि माध्यम से समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही विशेष प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु रोल प्ले भी करवाया जाता है। इस तरह की गतिविधि ग्रुप में काम करने की सीख प्रदाय करती हैं और स्टेज फियर को दूर करती है। दीर्घकालिक प्रशिक्षणों में इस तरह की गतिविधियों के समावेश से प्रतिभागियों में एक विशेष अंतर देखा गया है। पूर्व में जहाँ प्रतिभागी प्रशिक्षणों के तनाव ग्रस्त व नीरस वातावरण से बाहर आने हेतु प्रशिक्षण समाप्ति की बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे, वहीं अब वे प्रशिक्षणों में पूरी रुचि लेकर प्रशिक्षण बढ़ाने के सुझाव देने लगे हैं। प्रतिभागियों के बीच इस तरह की गतिविधियों से एक स्ट्रांग बांडिंग भी निर्मित होना अनुभव किया गया है। संस्थान से भी उनका जुड़ाव एक बेहतर रूप में सामने आने लगा है और वे संस्थान के अधिकारियों से सतत सम्पर्क में रहने का प्रयास करते हैं।

● **प्रस्तुति : समीर शास्त्री**

कचरा प्रबंधन की अभिनव पहल

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, वाल्मी ने कचरे के प्रबंधन को लेकर अनूठी पहल की है। वाल्मी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस दौरान बड़ी मात्रा में गीला तथा सूखा कचरा एकत्र होता है। संस्थान द्वारा इस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निष्पादन किया जाता है और प्राकृतिक खाद का निर्माण किया जाता है। इस खाद का उपयोग परिसर में लगाये गये पौधों तथा वृक्षों के लिए किया जाता है। संस्थान द्वारा केज वर्मीकम्पोस्ट, नॉडेप, कम्पोस्ट मेकिंग मशीन द्वारा प्राकृतिक खाद का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही संस्थान द्वारा निर्मित जैविक बागड़ एक नवीन पहल है।

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान द्वारा कचरा प्रबंधन के लिये परिसर में विभिन्न स्थानों पर सूखे एवं गीले कचरा हेतु पृथक-पृथक डस्टबिन रखवाये गये हैं।

स्वच्छ वाल्मी - अपशिष्ट पदार्थों का वैज्ञानिक निष्पादन

संस्थान की अलग-अलग इकाइयों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा एवं इसके प्रकार का आकलन किया गया और अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति अनुकूल तकनीक अपनाई गईं।

भोजनालय से प्राप्त अपशिष्ट प्रबंधन

संस्था की मेस द्वारा प्रति वर्ष 30000 प्रशिक्षणार्थियों की भोजन व्यवस्था की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में जैविक अपशिष्ट जैसे- फलों एवं सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाद्य पदार्थ इत्यादि प्राप्त होता है। इस जैविक अपशिष्ट के निष्पादन के लिए मेस परिसर में जैविक खाद निर्माण की 3 विधियाँ विकसित की गईं।

केज वर्मीकम्पोस्ट

फलों एवं सब्जियों के छिलके तथा नमक विहिन अपशिष्ट पदार्थों से वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए वर्मी केज लगाया गया, जिसमें Eisenia Foeteda प्रजाति के केंचुओं द्वारा वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है।

चारचक्रीय विधि

मेस परिसर से प्राप्त होने वाला जैविक अपशिष्ट एक साथ प्राप्त न होकर प्रतिदिन अलग-अलग मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसे अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए मेस परिसर में ईंट और कांक्रीट की चार चक्रीय कम्पोस्ट मेकिंग यूनिट निर्मित की गई। इस विधि में केंचुओं द्वारा 4 कम्पार्टमेंट्स में चक्रीय आधार पर जैविक खाद निर्मित की जाती है अर्थात् प्रतिदिन प्राप्त होने वाले अपशिष्ट से पहले एक

कम्पार्टमेंट भरा जाता है तदोपरान्त इसी तरह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कम्पार्टमेंट भरे जाते हैं। चतुर्थ कम्पार्टमेंट जब तक पूर्ण रूप से भरता है, प्रथम कम्पार्टमेंट में जैविक खाद बन चुकी होती है और खाद निकालकर उसे फिर से भरना प्रारम्भ किया जाता है।

नाडेप विधि

मेस से प्राप्त होने वाले सूखे कचरे, नमक युक्त अपशिष्ट एवं आसपास के क्षेत्र से नींदा सफाई से प्राप्त जंगली घास इत्यादि से खाद प्राप्त करने हेतु मेस परिसर में ही नाडेप इकाई स्थापित की गई, जिसमें हर 4 महीने में लगभग 2 टन जैविक खाद प्राप्त हो रहा है।

कम्पोस्ट मेकिंग मशीन

संस्थान परिसर के अन्य क्षेत्रों एवं प्रदर्शन प्रक्षेत्र से प्राप्त होने वाले कचरे जिसमें मुख्य रूप से नींदा, जंगली घास, वृक्षों की कंटाई-छंटाई से प्राप्त कचरा इत्यादि सूखी प्रकृति का कचरा सम्मिलित रहा है, के निष्पादन हेतु भोज परिसर में राशि रु. 4.15 लाख लागत की कम्पोस्ट मेकिंग मशीन (संयंत्र) स्थापित की गई है। इस मशीन से प्रतिदिन 20 किलो जैविक खाद प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह वाल्मी आवासीय परिसर तथा अन्य स्थानों पर सूखे एवं गीले कचरे हेतु पृथक-पृथक डस्टबिन रखवाये गये हैं,

जिन्हें साफ-सफाई हेतु आउटसोर्स की गई एजेंसी द्वारा खाद निर्माण संयंत्रों पर लाकर पृथक्कीकरण किया जाता है और खाद बनाई जाती है। कम्पोस्ट मेकिंग मशीन से खाद बनाने की सुविधा वाल्मी आवासीय परिसर में रहने वाले प्रत्येक रहवासी को प्रदान की गई है। मशीन द्वारा वे स्वयं के घर से निकले जैविक कचरों से खाद बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। संयंत्र चलाने के लिए संस्थान के 2 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। इस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति से वर्तमान में न सिर्फ वाल्मी परिसर की समस्त इकाइयों और शाखाओं से प्राप्त अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन संभव हो पाया है बल्कि अपशिष्ट से प्राप्त जैविक खाद का उपयोग परिसर में विकसित किये जा रहे समस्त पेड़-पौधों में किया जा रहा है। संस्थान ने वर्तमान में ''रसायन रहित खेती'' पर कार्य किया है।

वृक्षारोपण कार्य

संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण अंतर्गत हिलटॉप क्षेत्र में विविध प्रकार के फलदार वृक्षों तथा वन प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है इसके अतिरिक्त हिलटॉप पर ही छात्रावास क्षेत्र में पाम व अशोक के पौधे रोपित किये गये हैं। संस्थान में प्रदर्शन प्रक्षेत्र में भी वाल्मी स्टॉफ एवं प्रतिभागियों द्वारा ड्रमस्टिक (मुनगा), नीम, आँवला तथा अन्य देशी पौधे सघन रूप से रोपित किये गये हैं। स्थानीय वन प्रजातियों के पौधों की संख्या और अनुपात का निर्धारण उनके प्रकार Canopy, Tree, Sub Tree and Shrub के आधार पर किया गया। इस तकनीक के क्रियान्वयन के समय संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त वाल्मी के सदस्यों द्वारा एफारेस्ट रेप्लिका का निर्माण कंटूर पर स्ट्रिप प्लांटेशन के रूप में किया जा रहा है जिसमें 42 स्थानीय वन प्रजातियों का चयन किया गया है। यह तकनीक पूर्ण रूप से जैविक है एवं इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है।

जैविक बागड़

विगत कुछ वर्षों से संस्थान

के प्रदर्शन प्रक्षेत्र के आसपास विभिन्न कॉलोनियों एवं झुग्गी बस्ती की बसाहट से तथा पशुओं की निर्बाध आवाजाही से प्रक्षेत्र में विकसित किये गये विभिन्न तकनीकी संसाधनों को क्षति पहुँच रही थी। ऐसे अवांछनीय प्रवेश को रोकने की दृष्टि से प्रक्षेत्र के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

फलोद्यानों का जीर्णोद्धार

संस्थान के उद्यानिकी विषयक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों के दीर्घकालिक प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को व्यावहारिक अभ्यास प्रदाय कराने के उद्देश्य से प्रतिभागियों को विभिन्न प्रजातियों जैसे- आम, आँवला, चीकू, काजू इत्यादि के जीर्ण-शीर्ण पेड़ आवंटित किये गये और उन्हें इन वृक्षों के जीर्णोद्धार की तकनीक व आवश्यक सामग्री जैसे खाद, दवाइयाँ, उपकरण, सिंचाई जल इत्यादि उपलब्ध कराये गये तथा प्रत्येक प्रतिभागी को आवंटित वृक्ष के जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा गया, जिसे प्रतिभागियों द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया।

वर्षा जल संचयन

संस्थान में नवनिर्मित नलकूपों और पुराने नलकूपों के पुनर्भरण के लिए छात्रावास और अन्य अधोसंरचनाओं की छत से वर्षा जल एकत्रित कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से जल संचयन किया जा रहा है जिससे ग्रीष्मकाल में नलकूप के माध्यम से सतत् जलापूर्ति सम्भव होगी।

जलग्रहण क्षेत्र विकास अवधारणा आधारित कार्यों से जल उपलब्धता

वाल्मी के प्रदर्शन प्रक्षेत्र पर भी नवीन नलकूप का खनन किया गया तथा नवीन एवं पुराने (सूख चुके) नलकूपों को वर्षा जल से रिचार्ज (पुनर्भरण) किये जाने के लिए पुरानी जलग्रहण संरचनाओं का सुधार कार्य तथा नई संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स, ब्रशवुड श्रृंखला, खुले पत्थरों की संरचनाओं का निर्माण, कंटूर ट्रैन्च व कंटूर बण्ड आदि का निर्माण कराया गया है। जल एवं भूमि संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से भू-जलस्तर में वृद्धि और मृदाक्षरण पर नियंत्रण हुआ है तथा इसके सकारात्मक फलदायी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों को इन संरचनाओं का अवलोकन कराकर इनसे प्राप्त होने वाले लाभों से अवगत कराया जाता है ताकि इनका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार संभव हो सके। संस्थान को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में 'क्लीन वाल्मी ग्रीन वाल्मी' की अवधारणा पर और अधिक प्रयास कर पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन का एक अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत करेगा। पौध पोषक तत्वों एवं जल उपलब्धता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना इस रणनीति के अतिरिक्त लाभ होंगे।

● **प्रस्तुति : ज्योति राय**

● **प्रस्तुति : ज्योति राय**

वाल्मी परिसर में लगाए गए औषधीय और उपयोगी पौधे

पर्यावरण प्रदूषण की वजह से हर किसी को मुश्किल उठानी पड़ती है, लेकिन इसके बारे में सोचने वाले लोग कम ही हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं।

कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी खामोशी और शिद्दत से प्रकृति को नवजीवन देने में लगे हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण है जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) परिसर में काम कर रहे लोग। दरअसल यहां कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने पिछले एक वर्ष में खाली और बंजर पड़ी जमीन को अपने जुनून से पूरी तरह से हरा-भरा कर दिया है।

यह प्लांटेशन का काम जापान की ए फॉर स्टेशन टेक्निक जिसे मियांवाकी कहा जाता है, उस तकनीक के आधार पर किया है। इस तकनीक की खासियत है कि इसमें पौधे महज कुछ माह में ही बड़ा आकार ले लेते हैं।

125 स्कवायर फीट पर किया था काम

वाल्मी के टेक्निकल असिस्टेंट सुनील दत्त चौधरी ने बताया कि खाली और बेगार पड़ी इस जमीन पर अगस्त 2018 में बैंगलोर की एक कंपनी ने जापान की इस तकनीक का उपयोग कर पेड़ लगाए थे। उस दौरान 20 अलग-अलग तरह की प्रजातियों के पौधे 125 स्क्वायर फीट की जगह पर लगाए गए, जिसकी लागत 5 लाख 40 हजार रुपये थी।

इस तकनीक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वाइल प्रिपरेशन। इस स्वाइल में किसी भी प्रकार के फर्टीलाइजर या कैमिकल का उपयोग नहीं होता है। इसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से तैयार किया जाता है। जहां तक बात स्वाइल की है तो यह स्वाइल गन्ना वेस्ट, धान भूसा, गोबर खाद, गोमूत्र आदि से मिलाकर तैयार किया जाता है।

खाली और बेगार पड़ी जमीन को देख आया उपाय

वाल्मी की संचालक उर्मिला शुक्ला ने बताया कि जब मैंने इस खाली और बेगार पड़ी जमीन को देखा, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न इस जमीन का उपयोग करने के उद्देश्य से यहां पर औषधीय पौधे लगाए जाएं। उसी दौरान मैंने इस जमीन का रिसर्च करवाया और पाया कि इस जमीन पर औषधीय और वन्य प्रजातियों के पौधे लगाए जा सकते हैं। उसके बाद हमने 6 अलग-अलग स्ट्रिप्स में 42 प्रजातियों के पौधे लगाए। इन पौधों को चार अलग-अलग भागों में विभाजित किया। पहला ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा हो। दूसरे वो पौधे जो अपर ट्री यानी आम, गुलमोहर, पलाश आदि। तीसरे ऐसे पेड़ जो सामान्य हैं और इनकी ऊंचाई अन्य पेड़ों की तुलना में कम हो, चौथा झाड़ियों वाले पौधे जो देखने में सुंदर लगें आदि को लगाया गया।

● **प्रस्तुति : प्रवीण पाण्डेय**

वाल्मी जल प्रबंधन पर कार्यशाला

वर्तमान समय में पर्यावरण पर संकट है। हमारे पंच महाभूत पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका परिणाम गर्मी में पानी की कमी, बारिश में बाढ़, अतिवृष्टि, ओला वृष्टि और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने है। बदलते परिदृश्य में जहाँ हम रे परम्परागत सतही स्त्रोतों से समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, वहीं भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। यह हमारे अनियंत्रित दोहन का परिणाम है।

समाज को जल संकट से बचाने का एकमात्र उपाय है जल का समुचित प्रबंधन हो, तभी भविष्य की भयावह संभावनाओं को रोका जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में लोगों को जल संरक्षण और जल प्रबंधन की जानकारी देने के लिए म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) में एक जून

को कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर वाल्मी की संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ वर्षा के मौसम में कहीं बाढ़ की स्थिति बनती है तो कहीं भयंकर सूखा होता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद लोग बूंद-बूंद पानी के लिये तरसते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि हम वर्षा के पानी का समुचित संरक्षण नहीं करते। यदि किसी भी संस्थान को जल संरक्षण से संबंधित कोई भी जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए तो वाल्मी उन्हें निःशुल्क तकनीकी रूप से मदद करेगा।

कार्यशाला का विषय शहरों में पानी की गिरती उपलब्धता की दशा में जल प्रबंधन था। इस अवसर पर पूर्व वैज्ञानिक केंद्रीय भूजल बोर्ड डॉ. ललित कुमार और विवेक भट्ट मुख्य रूप से उपस्थित हुए। डॉ. ललित के. माथुर ने कहा कि आज हर नागरिक और संस्था को अपने स्तर पर जल प्रबंधन का कार्य करना चाहिए। इन विकल्पों में छत के पानी का संग्रहण, बाग-बगीचों में जल संग्रहण, अपशिष्ट जल का प्रबंधन और जल संग्रहण के तकनीकी, व्यवहारिक एवं आर्थिक पहलुओं पर भी काम करना जरूरी है।

अपने उद्देश्यों के अंतर्गत नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए संस्थान द्वारा ''शहरों में पानी की गिरती उपलब्धता की दशा में जल प्रबंधन'' विषय पर कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है।

इन कार्यशालाओं में विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाये जा रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर में जल संरक्षण हेतु अपनाये जा सकने वाले विकल्पों पर चर्चा की जावेगी जो भविष्य में जल संकट के स्थाई निदान में सहायक हो सकेगी। प्रत्येक कार्यशाला में अलग-अलग हितग्राहियों के समूह जैसे- शैक्षणिक संस्थाएं, बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स, होटल्स, उद्योग इत्यादि भाग लेंगे।

● **प्रस्तुति : समीर शास्त्री**

सेवा और संवेदनाओं का नवाचार

कुंवर गोपाल गोशाला

सेवा की संवेदनाएं घर परिवार में विकसित होती हैं, संस्कारित होती हैं। यही संवेदनाएं समाज हित के लिए उपयोगी हो जायें तो नवाचार का निर्माण होता है। वस्तुतः सेवा भाव की यह परम्परा भारतीय मूल में रही ही है। ऐसे ही एक सेवाभावी श्री अमित शर्मा के समर्पण का भाव अनुकरणीय उदाहरण बन कर सामने आया है।

अमित जी ने अपने माता-पिता की स्मृति में समाज के लिए कुछ करना चाहा। शमशाबाद तहसील के सतपाडाहाट गांव में अपनी दो बीघा जमीन पर गोशाला का निर्माण किया। उन्होंने अपनी स्वर्गीय माता हरकुंवर बाई तथा पिता श्री राम गोपाल के संयुक्त नाम पर कुंवर गोपाल गोशाला खोली। इसके द्वारा क्षेत्र में घूम रहे बेसहारा पशुओं को आसरा दिया।

श्री विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन के भाव को जीव कल्याण के लिए सार्थक करते अमित जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस गोशाला का निर्माण उन्होंने क्षेत्र में यहाँ-वहाँ घूम रहे पशुओं के संरक्षण के लिए किया है। इसमें उन्होंने पशुओं के पेयजल की व्यवस्था के लिए सोलर पंप भी लगाया है। यह सब उन्होंने स्वयं के व्यय से किया है। अमित जी के मन में पशुओं को संरक्षित करने का विचार अचानक नहीं आया, वे वर्षों से अपने आस-पास स्थित कॉलोनियों में गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मन में उठे उस आरम्भिक सेवा के संकल्प ने आकार लिया और अब पांच ग्राम पंचायतों के बीच उन्होंने गोशाला का निर्माण कर दिया। इस गोशाला में एक हजार वृक्षों का रोपण भी किया गया है।

बेटियों के लिए मुफ्त दूध

बेटियों की सुरक्षा, संपोषण और सम्मान के लिए शासकीय प्रयास तो किये ही जा रहे हैं लेकिन इसके लिए समाज का भी कुछ दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन अमित जी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे आंगनवाड़ी में पंजीकृत गांव की किसी भी बेटी को 6 माह तक निःशुल्क दुग्ध उपलब्ध करवाते हैं। इससे बच्चियों को पोषण प्राप्त होने के साथ उनकी समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसके अलावा अमित जी द्वारा क्षेत्र में सुबह-शाम निःशुल्क चाय वितरित करने की भी व्यवस्था की गई है। गोशाला निर्माण से अमित जी की अपने माता-पिता के स्मरण को चिरस्मरणीय बनाने की यह पहल समाज के लिए उपयोगी होने के साथ एक अनुकरणीय भी है। समाज हित में किया गया यह कार्य निश्चित ही अन्य जनों को प्रेरित करेगा।

● **प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े**

त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन-सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019-20

पंचायत निर्वाचन-2019-20
परिपत्र-2
समय-सीमा

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-5/2019/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 22.06.2019**

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :त्रिस्तरीय पंचायत का परिसीमन-सामान्य निर्वाचन वर्ष 2019-2020

संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र-1 क्रमांक एफ 16-5/2019/22/पं.-2 दिनांक 27.05.2019 एवं पत्र दिनांक 11.06.2019

आप अवगत हैं कि विभाग द्वारा परिपत्र-1 क्रमांक एफ 16-5/2019/22/पं.-2 दिनांक 27.05.2019 जारी कर परिसीमन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु पत्र दिनांक 11.06.2019 के द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर संलग्न कार्यक्रम अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन की कार्यवाही संपादित की जानी है। उक्त परिसीमन की कार्यवाही में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के समस्त प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सुविधा की दृष्टि से परिसीमन से संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं :-

1. नवीन ग्राम पंचायत गठन हेतु आदर्श जनसंख्या दो हजार से दो हजार पांच सौ होना चाहिए।
2. वर्ष 2019-2020 में होने वाले पंचायतों के आम चुनाव के पूर्व जिले की ''ऐसी पंचायतें जिनकी जनसंख्या पांच हजार से अधिक हो और उसमें दो या अधिक राजस्व ग्राम शामिल हों तो ऐसी ग्राम पंचायत का विभाजन किया जाकर ग्राम पंचायत के रूप में परिसीमन किया जाना चाहिये।
3. वर्तमान ग्राम पंचायत के मुख्यालय को यथा संभव परिवर्तित न किया जावे। विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा करना अनिवार्य हो तो अधिकतम जनसंख्या तथा उन्नत अधोसंरचना वाले ग्राम को मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। मुख्यालय निर्धारित करते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह ग्राम अन्य आश्रित ग्रामों की हवाई दूरी लगभग 3 कि.मी. से अधिक न हो तथा आश्रित ग्रामों के साथ बारहमासी पहुंच मार्ग से जुड़ा हुआ हो।
4. यदि किसी ग्राम पंचायत का भाग नगरीय निकाय में शामिल हो गया हो या कोई ग्राम पंचायत या उसका कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव छूट गया है (जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है) तो ऐसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय बदले जाने एवं राजस्व/वनग्राम एवं ग्रामों के लिए सम्मिलित होने से ग्राम पंचायत गठित की जानी चाहिए।
5. इसी प्रकार ''ऐसी पंचायतों के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए, जिनका क्षेत्र/गांव नगरीय निकाय में शामिल/पृथक होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव छूट गया है (जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है)। इसी प्रकार नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला पंचायत के गठन अनुसार वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिये।
6. उपरोक्तानुसार पंचायतों के परिसीमन के संबंध में कार्यवाही की जाने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 3, 8, 9, 10, 12, 17, 23, 25, 30, 125, 126, 127, 129-ख एवं 129-ङ एवं म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3, 4 एवं 5 एवं म.प्र. पंचायत (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम 1994 का भली भांति अध्ययन करें तथा समस्त सुसंगत धाराओं तथा नियमों में निहित प्रावधानों का अनिवार्यत: पालन सुनिश्चित किया जावे।

पंचायत का मुख्यालय बदला जाना या नई पंचायत का गठन किया जाना या पंचायत क्षेत्र का परिसीमन किया जाना या इसके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आवश्यक स्थिति यह है कि :-

6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन- अधिनियम की धारा 125 के प्रावधान अनुसार पैरा 2, 3 एवं 4 में दर्शाए अनुसार ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदला जाना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाना या उसके ऐसे स्थानीय क्षेत्र को जो इसके सामीप्य हो अनुसार ग्राम पंचायत जिसका मुख्यालय का बदला जाना या 5000 से अधिक जनसंख्या होने पर दो राजस्व ग्राम या अधिक सम्मिलित हैं को विभाजित कर नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाना। किसी ग्राम पंचायत का भाग नगरीय निकाय में शामिल हो गया हो या कोई ग्राम पंचायत या इसका कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव छूट गया है (जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है)। अत: ऐसे ग्राम पंचायत के मुख्यालय बदले जाने या जो राजस्व/वन ग्राम एवं ग्रामों के लिए सम्मिलित होने से धारा 3 के अन्तर्गत नई ग्राम पंचायत गठित हो सकती है। ऐसी सूचना का प्रारम्भिक प्रकाशन (प्ररूप-एक (अ) में एवं उसको अधिसूचित करने की अधिसूचना का प्रकाशन प्ररूप-एक (ब) में किया जावे।

6.2. ग्राम पंचायत क्षेत्र का परिसीमन :- अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों अनुसार पैरा 5 में दर्शाए अनुसार ''ऐसी पंचायतों के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करना है, जिनका क्षेत्र/गांव नगरीय निकाय में शामिल/पृथक होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव किसी बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है या विगत परिसीमन में कोई गांव छूट गया है (जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र किसी में भी सम्मिलित नहीं है)। अत: परिसीमन/पुनर्गठन हेतु ग्राम पंचायत जो राजस्व/वन ग्राम एवं ग्रामों के लिए सम्मिलित होने से बनी/बनती है उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 1000 होगी और उसको कम से कम 10 वार्डों में विभाजित किया जायेगा, परंतु यदि जनसंख्या 1000 से अधिक होगी तो अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। ऐसे प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या यथासाध्य एक समान होगी। इस इद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 के अनुसार पुनर्गठन हेतु ऐसी अपवादिक ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय क्षेत्र में प्रारंभिक प्रकाशन (प्ररूप-दो-(अ)) में प्राप्त दावे आपत्तियों की जांच एवं गुण दोष के आधार पर सुनवाई उपरांत अंतिम विनिश्चय का प्रकाशन प्ररूप-दो-(ब) में किया जाए।

6.3. जनपद पंचायत क्षेत्र का परिसीमन :- अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड के लिए जनपद पंचायत के गठन का प्रावधान है। यह सुनिश्चित कर लें कि यदि आपके जिले में किसी विकासखण्ड की सीमा में राजस्व विभाग की किसी अधिसूचना द्वारा कुछ ग्राम अन्यत्र राजस्व जिला या जिले के ही किसी अन्य विकासखण्ड में अंतरित होने के कारण सीमाएं परिवर्तित हुई हैं तो पूर्व से अधिसूचित जनपद पंचायत/पंचायतों की सीमाएं भी प्रभावित होंगी अतएव यथा संशोधित विकासखण्ड की सीमाओं के अनुसार प्रभावित जनपद पंचायतों के क्षेत्र भी संशोधित हो जायेंगे। केवल ऐसी परिवर्तित जनपद पंचायतों का परिसीमन भी यथा संशोधित कर प्रारम्भिक प्रकाशन (प्ररूप तीन (अ)) विहित रीति में आपके प्रकाशित किए जायेंगे दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं गुण दोष के आधार पर सुनवाई उपरान्त अंतिम विनिश्चय की अधिसूचना (प्ररूप-तीन (ब)) में प्रकाशित की जाए।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार जिन-जिन विकासखण्डों की पूर्व प्रकाशित विस्तार सीमा में परिवर्तन हुए हैं, वहां प्रभावित जनपद पंचायत व निर्वाचन क्षेत्रों को नये सिरे से संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथा अनुसार संशोधित कर अंतिम प्रकाशन विहित रीति अनुसार विनिश्चय कर अधिसूचित किये जाने के उपरान्त यह भी ध्यान रखा जावे कि किसी भी ग्राम पंचायत का पूरा क्षेत्र जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जावे। प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र और जनसंख्या 50000 तक है और कम से कम दस एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जायेगा। जनसंख्या अधिक होने पर जनपद पंचायत क्षेत्र को अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा, परंतु प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या यथासाध्य एक समान रहेगी।

6.4. जिला पंचायत क्षेत्र का परिसीमन :- जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 30 के अनुसार प्रत्येक राजस्व जिला सीमा के अनुरूप जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। पैरा 5 में उल्लेखित किसी परिस्थिति के कारण या नवगठित जिला होने से जिला पंचायत क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन होने पर केवल ऐसी परिवर्तित जिला पंचायतों का परिसीमन भी यथा संशोधित कर विहित रीति (प्ररूप-चार (अ)) में प्रारम्भिक प्रकाशन एवं आपके द्वारा अंतिम रूप से अधिसूचित एवं प्रकाशित (प्ररूप-चार (ब)) में किये जायेंगे। जिला पंचायतें जिसकी जनसंख्या 5 लाख से कम है तो उसमें कम से कम 10 सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जायेगा, परन्तु जनसंख्या अधिक होने पर सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या 35 तक हो सकती है। यह भी ध्यान रखा जावे कि किसी भी जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में पूरा शामिल किया जावे। प्रत्येक जिला सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या औसत लगभग एक जैसी रहेगा। वर्तमान में प्रदेश में 52 जिलों में 52 जिला पंचायतें गठित हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य शासन द्वारा टीकमगढ़ जिले से पृथक कर निवाड़ी जिले का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 10 (3) के अनुसार इन नये जिले में भी नवीन जिला पंचायत का गठन राजपत्र में किया जा चुका है, एवं नये सिरे

से नियत प्रक्रिया द्वारा **संबंधित जिले के कलेक्टर को पुराने तथा नवगठित जिलों में धारा 8(ग) एवं धारा 30 के तहत जिले के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना यदि आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में परिसीमन किया जा सकता है।**

7. प्रभावित ग्राम पंचायतों के लिए अधिनियम की धारा 13, 129-ङ एवं 17 जनपद पंचायतों के लिए अधिनियम की धारा 23 एवं जिला पंचायत के लिए अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं के लिए क्रमशः आरक्षित वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित सूचना/अधिसूचना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का केवल उल्लेख किया जाना है। जानकारी (प्ररूप-पांच) में दी जावे। **कौन सा वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र किस प्रवर्ग के लिए आरक्षित होगा यह अभी नहीं बतलाया जाना है। इसकी कार्यवाही अगले चरण में होगी।**

8. अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 4 एवं 5 एवं 129-ङ अनुसार ग्राम पंचायतों में वार्डों के लिए धारा 23 की उप धारा 2, 3, 4 एवं 5 के अनुसार जनपद पंचायत के लिए एवं धारा 30 की उप धारा 2, 3, 4 एवं 5 के अनुसार जिला पंचायत में आरक्षित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित होगी।

9. अनुसूचित क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129 ङ की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) अनुसार होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक स्तर की पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा, परन्तु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों के आधे से कम नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जावेंगे, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान के साथ मिलकर उस पंचायत के कुल वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों के 3 चौथाई से अधिक नहीं होंगे।

10. परिसीमन पश्चात जिले की प्रभावित कुल ग्राम पंचायत, उनके वार्ड, जनपद पंचायत/जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी प्ररूप-5 में एवं जिले कुल पंचायतों एवं उनके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों एवं जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की जानकारी प्ररूप-6 में तैयार की जावे।

समय सारणी

जिन त्रिस्तरीय पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्धारण का कार्यक्रम

ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम

1.क	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का विस्थापन/पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन (जनगणना 2011 के आधार पर)	1 जुलाई 2019 सोमवार
1.ख	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, विस्थापन या पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	8 जुलाई 2019 सोमवार
1.ग	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, विस्थापन या पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण की तिथि।	10 जुलाई 2019 बुधवार
1.घ	पैरा 6.1 ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना या ग्राम पंचायत का गठन, विस्थापन या पुनर्गठन किये जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण उपरान्त धारा 3 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के गठन का अन्तिम प्रकाशन।	12 जुलाई 2019 शुक्रवार
2.क	ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण तथा उनका प्रारंभिक प्रकाशन।	18 जुलाई 2019 गुरुवार
2.ख	प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	23 जुलाई 2019 मंगलवार
2.ग	प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति एवं सुझाव पर निराकरण की तिथि।	25 जुलाई 2019 गुरुवार
2.घ	प्रभावित ग्राम पंचायत के वार्डों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण के उपरांत ग्राम पंचायत के वार्ड उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।	27 जुलाई 2019 शनिवार

जनपद एवं जिला पंचायत का कार्यक्रम		
3.क	जनपद पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा उनके क्षेत्र आदि का प्रारम्भिक प्रकाशन।	12 जुलाई 2019 शुक्रवार
3.ख	जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	19 जुलाई 2019 शुक्रवार
3.ग	जनपद एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण करने की तिथि।	22 जुलाई 2019 सोमवार
3.घ	प्रभावित जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों के निराकरण के उपरांत उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन।	25 जुलाई 2019 गुरुवार
4	उपरोक्त क्रमांक (1) से क्रमांक (3) का समेकित प्रतिवेदन प्ररूप-5 एवं 6 में आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय भोपाल को भेजने की अंतिम तिथि।	29 जुलाई 2019 सोमवार
5.	आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय द्वारा संपूर्ण राज्य की संकलित जानकारी एवं प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजने की अंतिम तिथि।	31 जुलाई 2019 बुधवार

11. प्रत्येक जिले द्वारा कार्यवाही करने का पालन प्रतिवेदन उसी दिवस आयुक्त सह संचालक पंचायत राज संचालनालय, भोपाल तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, अरेरा हिल्स, भोपाल को भेजा जाएगा।
12. चूंकि अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत प्रारंभिक सूचना एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने के अधिकार जिला एवं जनपद पंचायतों के लिए जिला कलेक्टर को तथा जिला पंचायतों के लिए संभागीय आयुक्तों को हैं। अत: ऐसी सूचना एवं अधिसूचना संबंधित विहित प्राधिकारी को हस्ताक्षर एवं पदनाम से होना चाहिए। जांच कार्य के लिए विहित प्राधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा धारा 3 के अधीन अंतिम अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के लिए कलेक्टर अपने स्तर से शासकीय मुद्रणालय, भोपाल को भेजेंगे।
13. कृपया उपरोक्त वर्णित कार्यवाही समय सारणी अनुसार संपादित करना सुनिश्चित करें। प्रश्नाधीन कार्य निर्धारित समय-सीमा में यथा विधि अनुसार संपादित करने के लिए कलेक्टर व्यक्तिश: तौर पर उत्तरदायी होंगे।

संलग्न-प्रपत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 16-5/2019/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 22.06.2019**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त सह संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल कृपया जनपद/जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों के परिसीमन/पुनर्गठन की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित कर अपेक्षित जानकारी शासन को भेजें।
3. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जानकारी भेजें।

उप सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्ररूप-एक (अ)

कलेक्टर ..... जिला
मध्यप्रदेश
सूचना

दिनांक .....

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला ..... के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा स्तंभ क्रमांक (5) के अनुसार निर्धारित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित करते हैं। इन आपत्तियों और सुझावों पर जो दिनांक ..... तक क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्राप्त होंगे, विचार किया जावेगा, निर्धारित तिथि तक प्राप्त सुझावों या आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दिनांक ..... को उनके कार्यालय में सुनवाई की जावेगी।

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
कलेक्टर
..... मध्यप्रदेश

प्ररूप-एक (ब)
कलेक्टर ..... जिला
मध्यप्रदेश
अन्तिम प्रकाशन

दिनांक .....

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला ..... के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) ''ग्राम पंचायत'' की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये ''ग्राम'' के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
कलेक्टर
जिला .....

प्ररूप-दो (अ)

कलेक्टर .....

सूचना

दिनांक .....

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला ..... मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं।

ग्राम पंचायत क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति/सुझावों को दिनांक ..... तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात् अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

खण्ड.....

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
				अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अ.जा., महिला अ.ज.जा., महिला अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला सामान्य	

(**नोट :** मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

हस्ताक्षर, कलेक्टर

जिला.....

प्ररूप-दो (ब)

कलेक्टर .....

अन्तिम प्रकाशन

दिनांक.....

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला ..... मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
				अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अ.जा., महिला अ.ज.जा., महिला अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला सामान्य	

(**नोट :** मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

हस्ताक्षर, कलेक्टर

जिला .....

प्ररूप-तीन (अ)
कलेक्टर ..... जिला
प्रारंभिक प्रकाशन

दिनांक .....

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला ..... मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं।

निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति दिनांक ..... तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर तत्पश्चात अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
				अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अ.जा., महिला अ.ज.जा., महिला अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला सामान्य	

(**नोट** : मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

हस्ताक्षर, कलेक्टर
जिला .....

प्ररूप-तीन (ब)
कलेक्टर ..... जिला
अन्तिम प्रकाशन

दिनांक .....

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला ..... मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं अर्थात-

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
				अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अ.जा., महिला अ.ज.जा., महिला अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला सामान्य	

(**नोट :** मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

हस्ताक्षर, कलेक्टर
जिला .....

प्ररूप-चार (अ)
कार्यालय संभाग आयुक्त .....
सूचना

दिनांक .....

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए..... कलेक्टर जिला ..... मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ-दो में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पांच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं:-

निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी सारणी में अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में कोई आपत्ति दिनांक..... तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर तत्पश्चात अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

अनु. क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	सीमा ग्राम पंचायत के नाम	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
				अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अ.जा., महिला अ.ज.जा., महिला अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला सामान्य	

हस्ताक्षर, आयुक्त
संभाग .....

प्ररूप-चार (ब)
कार्यालय संभाग आयुक्त .....
अन्तिम प्रकाशन

दिनांक .....

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला ..... मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूं।

सारणी

अनु. क्रमांक	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
				अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अ.जा., महिला अ.ज.जा., महिला अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला सामान्य	

(**नोट :** मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

हस्ताक्षर, आयुक्त
संभाग.....

प्ररूप-पांच
त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन की जानकारी
ग्राम पंचायतों, इनके वार्डों, जनपद जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
और आरक्षण स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

जिला .....

क्रमांक	पंचायत की कुल संख्या	निर्वाचन क्षेत्र/वार्डों के आरक्षण की स्थिति					
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारिक्षित
1. (क)	कुल ग्राम पंचायत						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित				
(ख)	प्रभावित ग्राम पंचायतों के ववार्डों की संख्या						
2. (क)	कुल जनपद पंचायत						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित				
(ख)	जनपद पंचायतों के प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या				
3.	जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या				
3.क	जिला पंचायतों के प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या				

हस्ताक्षर
कलेक्टर
जिला .....

प्ररूप-छह
त्रिस्तरीय पंचायतों की जानकारी
ग्राम पंचायतों, इनके वार्डों, जनपद/जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
और आरक्षण स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

जिला .....

क्रमांक	पंचायत की कुल संख्या	पंचायतों के आरक्षण की स्थिति					
		संख्या		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित
1. (क)	कुल ग्राम पंचायत						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित				
(ख)	ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या						
2. (क)	जनपद पंचायत						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित				
(ख)	जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या				
3.	जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या						
			केवल महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या				

हस्ताक्षर
कलेक्टर
जिला .....

ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
(अरेरा हिल्स, हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899, E-mail address: dirpanchayat@mp.gov.in

क्र./पं.रा./पंचा/एफ-1/2019/8522 **भोपाल, दिनांक 25.06.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला - समस्त
   मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत - समस्त
   मध्यप्रदेश

विषय : ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20.

संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1/2019/एक/9 दिनांक 04 जून, 2019.

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1/2019/एक/9 दिनांक 04 जून, 2019 द्वारा जारी राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 निम्न संशोधनों के साथ ग्राम पंचायत सचिवों के संबंध में लागू की जाती है :-

1. दिनांक 05 जून, 2019 से 05 जुलाई 2019 तक स्थानांतरण के प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के 10 दिवस के भीतर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने की दशा में जिला कलेक्टर स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय ले सकेंगे और तदनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के हस्ताक्षर से आदेश जारी किये जायेंगे।
2. एक जिले से दूसरे जिले में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किये जा सकेंगे। प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 के प्रावधान लागू होने के साथ-साथ अत्यावश्यक प्रकरणों में स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से भी जारी किये जा सकेंगे।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

पृ. क्रमांक/पं.रा./पंचा/एफ-1/2019/8523 **भोपाल, दिनांक 25.06.2019**

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल।
2. निज सचिव, मान. प्रभारी मंत्री, जिले - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

जल संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों का सघन क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र./6045/एनआरईजीएस-म.प्र./एनआर-1/19 **भोपाल, दिनांक 21 जून, 2019**

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला, समस्त (म.प्र.)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   जिला पंचायत, समस्त (म.प्र.)

विषय :जल संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों का सघन क्रियान्वयन प्रारंभ करने हेतु जल सम्मेलन का आयोजन। (समय-सीमा-दिनांक 29 जून, 2019)

प्रदेश में विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की पूर्ति हेतु जल संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता से आप पूर्व परिचित हैं। जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों के अपेक्षित परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब इन्हें विभिन्न शासकीय विभागों योजनाओं के संसाधनों को एकजाई कर सघन तरीके (Intensive Mode) से वृहद पैमाने पर क्रियान्वित किया जाए तथा जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाये। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों का सघन क्रियान्वयन प्रारंभ हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 29 जून, 2019 तक की समयावधि में ''जल सम्मेलन'' का आयोजन कर किया जाना है। ''जल सम्मेलन'' के आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कराएं :-

1. गांव में जल संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में जन जागरूकता हेतु रैली निकालना।
2. रैली के पश्चात उसी दिन ग्रामसभा का आयोजन। इस ग्रामसभा का एजेंडा निम्नानुसार होगा :-

2.1 जल संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा सरपंच को प्रेषित पत्र, माननीय मुख्यमंत्रीजी के संदेश और माननीय मंत्रीजी (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) के संदेश का वाचन।

2.2 ग्राम पंचायत के ग्रामों में पानी की समस्या और इसके निदान हेतु जल संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता तथा लिए जा सकने वाले कार्यों पर परिचर्चा और ग्रामीणों को समझाइश। इस परिचर्चा में गांव के वरिष्ठ जन पूर्व में पानी की सुलभ उपलब्धता और वर्तमान स्थिति की तुलना भी साझा करें। (इस परिचर्चा में माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है)।

2.3 ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में पूर्व में सफलतापूर्वक निष्पादित जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों की कार्यप्रणाली तथा प्रभावों का प्रस्तुतीकरण।

2.4 जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधि, सचिव, ग्राम रोज़गार सहायक, ग्रामीण जन का सम्मान करना।

3. ग्रामसभा पश्चात ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों नामतः तालाब, चैकडेम, खेत तालाब, मेढ़ बंधान, परकोलेशन तालाब, कंटूर ट्रैंच इत्यादि का अधिक से अधिक संख्या में क्रियान्वयन प्रारंभ कराना। (ऐसी ग्राम पंचायतें जो नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के कैचमेंट में हैं उनमें नदी पुनर्जीवन हेतु तैयार की गई डी. पी.आर. में शामिल कार्य प्रारंभ कराये जाएं।)
4. ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य में श्रमदान करना। इस हेतु यदि पूर्व से कार्य चल रहा है तो उसमें श्रमदान किया जा सकता है अथवा नवीन कार्य प्रारंभ कर श्रमदान किया जाए। श्रमदान हेतु पुरानी जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं जैसे :- चैकडेम एवं तालाबों का सुधार तथा उनके जल भराव क्षेत्र में गाद निकालने का कार्य लिया जा सकता है। इस श्रमदान में माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय पंचायत प्रतिनिधियों तथा प्रशासकीय और तकनीकी अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
5. शालाओं में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विषय पर चर्चा, नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

उपरोक्तानुसार आयोजित जल सम्मेलन और ग्रामसभाओं का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि समाज प्रेरित होकर इसमें सहभागी बने।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के नवीन निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/43A/2018/22/पं.-1 **दिनांक 08.03.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला - समस्त, म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय : महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में नवीन निर्देश।

आप विदित हैं कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों हेतु पंच परमेश्वर योजना लागू है, जिसके संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों क्रमांक 67/2018/22/पं.-1 दिनांक 16.02.2018 को अधिक्रमित करते हुए एवं योजना का नाम महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना करते हुये निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली समस्त अनाबद्ध राशियां (14वां वित्त मूल अनुदान, 14वां वित्त परफॉरमेंस ग्राण्ट तथा राज्य वित्त आयोग अनुदान आदि) योजना का भाग होंगी। ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को प्रमुख रूप से निम्न 04 भागों में वर्गीकृत किया जाकर वार्षिक व्यय सीमा निर्धारित की जाती है -

1. नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 75 प्रतिशत)।
2. पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 10 प्रतिशत)।
3. संधारण कार्य (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 7.5 प्रतिशत)।
4. कार्यालयीन व्यय (वर्ष में प्राप्त कुल राशि का 7.5 प्रतिशत)।

1. नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य (75 प्रतिशत) -

1.1 योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से 75 प्रतिशत राशि का उपयोग निम्नानुसार अधोसंरचना कार्यों पर किया जावे :-

(1) सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण।
(2) गौ-शाला निर्माण।
(3) रपटा/पुलिया निर्माण (ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र, शासकीय भवनों तथा शमशानघाट/कब्रिस्तान को आबादी क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्तों पर)।
(4) बाउण्ड्रीवॉल निर्माण - पंचायत भवन, कब्रिस्तान, शमशानघाट, स्कूल, आँगनवाड़ी, शासकीय भवन, सामुदायिक भवनों में।
(5) कांजी हाउस।
(6) पुस्तकालय भवन।
(7) बाजार चबूतरे/दुकान निर्माण/ग्राम चौपाल के लिए चबूतरा निर्माण।
(8) यात्री प्रतीक्षालय निर्माण।
(9) पेवर ब्लॉक सड़क।
(10) सामुदायिक शौचालय/शासकीय भवनों में महिला/पुरुष शौचालय निर्माण।
(11) एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार)
(12) सार्वजनिक पार्कों का निर्माण। पार्क में पेवर ब्लॉक, बैंच फुटपाथ, लाईट तथा पानी की व्यवस्था भी की जाये।
(13) निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्माण - रैंप आदि।

2. पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य (10 प्रतिशत) -

योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था हेतु किया जा सकेगा। पेयजल व्यवस्था में निम्न कार्य किये जा सकेंगे -

(1) ऐसी नल-जल योजनाएं जो ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्थापित की गयी हैं उनका संधारण।
(संधारण का प्राक्कलन पी.एच.ई. द्वारा तैयार किया जाएगा)

(2) ऐसी नल-जल योजनाएं जिन्हें पी.एच.ई. द्वारा स्थापित कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है उनका संधारण। (संधारण का प्राक्करण पी.एच.ई. द्वारा तैयार किया जाएगा)
(3) पेयजल प्रदाय हेतु पाइपलाइन विस्तार।
(4) पेयजल हेतु उपयोग होने वाली सिंगल फेस मोटर पी.एच.ई. द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, किंतु अति आवश्यक होने की स्थिति में यदि संबंधित जनपद पंचायत के अनुविभागीय अधिकारी (पी.एच.ई.) सिंगल फेस मोटर उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण-पत्र देते हैं, तो ग्राम पंचायतें पी.एच.ई. द्वारा निर्धारित मानक की सिंगल फेस मोटर क्रय कर सकेंगी।
(5) पेयजल एकत्रित करने हेतु भू-स्तर टंकी निर्माण/रेडीमेड टंकी क्रय।
(6) आर.ओ. वाटर प्लांट स्थापित किये जाने की स्थिति में अंशदान।
(7) पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण।

3. संधारण कार्य (7.5 प्रतिशत) -

योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से अधिकतम 7.5 प्रतिशत राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित स्थायी परिसंपत्तियों के संधारण एवं साफ-सफाई कार्य हेतु किया जा सकेगा। संधारण अंतर्गत निम्न कार्य किये जा सकेंगे -

(1) पंचायत भवन मरम्मत तथा अन्य शासकीय भवनों की मरम्मत, पुताई, बिजली फिटिंग।
(2) शासकीय/पंचायत के भवनों में शौचालय निर्माण/संधारण
(3) स्टॉपडेम/चेकडेम मरम्मत, गेट सुधार।
(4) ग्राम पंचायत की साफ-सफाई का कार्य।
(5) साफ-सफाई से संबंधित सामग्री क्रय।
(6) पुराने पेयजल कूपों/बावड़ियों का सुधार।
(7) पंचायत के स्वामित्व वाले टैंकर की मरम्मत/टायर-ट्यूब बदलना।
(8) घाटों की पुताई एवं साफ-सफाई।

4. कार्यालयीन व्यय (7.5 प्रतिशत) -

योजनांतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से अधिकतम 7.5 प्रतिशत राशि का उपयोग कार्यालयीन/प्रशासनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत निम्न व्यय किये जा सकेंगे -

(1) पंचायत भवन में फर्नीचर क्रय एवं फर्नीचर मरम्मत।
(2) टेंट का किराया।
(3) कार्यालयीन स्टेशनरी।
(4) नेट सेटर का मासिक भुगतान (अधिकतम रु. 500/- प्रतिमाह तक)
(5) रेलटेल, बी.एस.एन.एल. एवं अन्य सेवा प्रदाता कंपनी का ब्रॉडबेण्ड का मासिक भुगतान।
(6) कम्प्यूटर सामग्री क्रय एवं मरम्मत, बीमा, वार्षिक रख-रखाव।
(7) भृत्य/चौकीदार/सफाईकर्मी/पंप ऑपरेटर का वेतन/मानदेय।
(8) बिजली बिल।
(9) राष्ट्रीय पर्व पर व्यय-व्यवस्था एवं पुरस्कार वितरण।
(10) ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं की बैठकों में चाय-नाश्ते आदि पर व्यय।
(11) पंचायत कार्यालय का किराये का भवन होने की स्थिति में देय किराया।
(12) समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ खरीदने पर व्यय।
(13) सेट टॉप बॉक्स का व्यय।
(14) इनवर्टर एवं बेटरी का व्यय।
(15) ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाले ट्रेक्टर ट्रॉली/कचरा गाड़ी/जनरेटर के लिये उपयोग होने वाले डीजल का व्यय।
(16) विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों पर होने वाला व्यय।
(17) डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए Point of Sale (POS) मशीन क्रय।

5. गैर अनुमत्य कार्य -

योजनांतर्गत निम्न कार्य/व्यय नहीं किये जा सकेंगे -

(1) हैण्डपंप खनन एवं उसका संधारण (यह कार्य पी.एच.ई. द्वारा किया जायेगा)।
(2) नलकूप खनन (यह कार्य पी.एच.ई. द्वारा किया जायेगा)।
(3) मोटर पंप क्रय (पी.एच.ई. द्वारा अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र देने के बाद निर्धारित मानक की सिंगल फेस मोटर क्रय की जा सकेगी)।
(4) पेयजल परिवहन पर व्यय।
(5) मुरमीकरण/ग्रेवलरोड।

(6) स्टापडेम/चेकडेम निर्माण।
(7) किसी भी प्रकार के वाहन का क्रय।
(8) स्वागत द्वार।
(9) प्रतिमा स्थापना।
(10) आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण पर व्यय।
(11) सौर ऊर्जा लाइट पर व्यय।
(12) एयर कंडीशन क्रय।
(13) मोबाइल।
(14) पानी का टैंकर।
(15) विज्ञापन पर व्यय (ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु केवल निविदाएँ समाचार-पत्र में प्रकाशित की जा सकती हैं।)

उक्त चारों श्रेणी में सम्मिलित कार्य ग्रामसभा में अनुमोदित होना चाहिये तथा इसके अतिरिक्त यदि ग्राम पंचायत किसी कार्य विशेष को संपादित करना चाहती है, तो उसके द्वारा कार्य की आवश्यकता तथा राशि की उपलब्धता अनुसार अनुरोध पर संचालक, पंचायतराज संचालनालय के द्वारा निर्णय लिया जाकर ग्राम पंचायत को अवगत कराया जाएगा।

6. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) -

किये जाने वाले समस्त कार्य ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होंगे। सभी कार्य डी.पी.आर. अनुसार संपादित किये जायेंगे।

7. पर्यवेक्षण -

(1) प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रविष्टि कार्य स्वीकृति के साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर की जाना अनिवार्य होगी।
(2) प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारंभ के समय, प्रत्येक मूल्यांकन के समय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जियोटेग फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
(3) प्रत्येक व्यय का बिल व्हाउचर संधारित करना अनिवार्य होगा।
(4) राशि के दुरुपयोग की स्थिति में क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
(5) निर्माण कार्यों की स्वीकृति में प्रभावी अभिसरण मनरेगा योजना से सुनिश्चित किया जावे।
(6) किये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा योजना के साथ-साथ किया जावे।
(7) किये जाने वाले कार्यों की जानकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा भी रखी जावेगी।
(8) पंचायत समन्वय अधिकारी प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में विगत माह की ग्राम पंचायत की प्रगति रिपोर्ट जनपद पंचायत में प्रस्तुत करेंगे।

8. गुणवत्ता नियंत्रण -

(1) गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रियान्वयन एजेंसी तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का होगा।
(2) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण भी किया जायेगा एवं प्रतिमाह जनपद पंचायत में रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/44A/2018/22/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 08.03.2019**

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारण्टी परिषद।
2. संचालक, पंचायतराज संचालनालय।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
5. संभागीय आयुक्त, संभाग - समस्त, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग